सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में

2019-20

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

छत्तीसगढ़ शासन

लेखे एक दृष्टि में

2019-20

छत्तीसगढ़ शासन

प्राक्कथन

वर्ष 2019–20 के वार्षिक प्रकाशन 'लेखें एक दृष्टि में' को प्रस्तुत करते हुए मैं प्रसन्न हूं, जो वित्त लेखे और विनियोग लेखे में परिलक्षित शासन के गतिविधियों का विहंगावलोकन दर्शाता है।

वित्त लेखे में समेकित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखे के अन्तर्गत लेखों की विवरणियों का सार होता है। विनियोग लेखे के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों के विरूद्ध किये गये अनुदान वार व्यय को अंकित किये जाते हैं तथा प्रावधानिक निधियों एवं वास्तविक व्यय के मध्य अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं।

वित्त एवं विनियोग लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अधीन नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य के विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पूर्व मेरे कार्यालय द्वारा तैयार किये जाते हैं ।

प्रकाशन को सार्थक बनाने हेतु हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा है।

(राजीव कुमार)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
छत्तीसगढ़

स्थान : रायपुर
दिनांक :11 जून 2021

हमारा दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोणः

(भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक संस्था का दृष्टिकोण हमारी भावी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।)

हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा और लेखा में एक वैश्विक अग्रज और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम विधाओं के सर्जक बनने का प्रयास करते हैं और सार्वजनिक वित्त तथा शासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और समय पर रिर्पोर्टिंग के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

मिशनः

(हमारा लक्ष्य हमारी वर्तमान भूमिका को प्रतिपादित एवं हम आज जो कर रहे हैं, उसे उल्लिखित करता है।)

भारत के संविधान द्वारा आदेशित, हम उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और लेखांकन के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने हितधारकों–विधानमंडल, कार्यकारी ओर जनता–जिनके धन का उपयोग दक्षता पूर्वक इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं।

कोर मुल्यः

हमारा मुल मंत्र हमारे द्वारा किये गये सभी कार्य जो मार्गदर्शक प्रकाश स्तम्भ है तथा हमारे प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मानक होते है।

- स्वतंत्रता
- निष्पक्षता
- अखंडता
- विश्वसनीयता
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक पहल

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय–I	**अधिदृष्टि**	
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखों की संरचना	1
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	3
1.4	निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग	4
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.), अधिनियम, 2005	7
अध्याय– II	**प्राप्तियाँ**	
2.1	भूमिका	9
2.2	राजस्व प्राप्तियां	9
2.3	कर राजस्व	11
2.4	कर वसूली पर लागत	13
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पॉच वर्षों का रूझान	14
2.6	सहायता अनुदान	14
2.7	लोक ऋण	15
2.8	पिछले पांच वर्षो के दौरान निवल लोक ऋण का रूझान	16
2.9	उधार की निधियों तथा पूंजीगत व्यय	16
अध्याय– III	**व्यय**	
3.1	भूमिका	17
3.2	राजस्व व्यय	17
3.3	पूंजीगत व्यय	19
3.4	प्रतिबद्ध व्यय	21
अध्याय–IV	**विनियोग लेखे**	
4.1	वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे का सारांश	22
4.2	विगत पाँच वर्षों में बचत/आधिक्य का रूझान	22
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	23
4.4	अनावश्यक सिद्ध हुए अनुपुरक अनुदान/विनियोग	23
4.5	व्यय का अतिरेक	26

पृष्ठ संख्या

अध्याय–V	परिसम्पत्तियां तथा दायित्व	
5.1	परिसम्पत्तियां	27
5.2	ऋण तथा देनदारियां	27
5.3	प्रतिभूतियां	28
5.4	सेवानिवृत्ति हितलाभों का दायित्व	29
अध्याय–VI	**अन्य मदें**	
6.1	आंतरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	30
6.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम	30
6.3	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	30
6.4	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	31
6.5	लेखों का पुनर्मिलान	31
6.6	लेखे प्रतिपादन इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण	31
6.7	असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल (एसी)	32
6.8	उचंत अवशेषों की स्थिति	32
6.9	शेष उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिति	33
6.10	विगत पॉच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	33
6.11	अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के कारण प्रतिबद्धता	34
6.12	व्यक्तिगत जमा खाता (पी.डी.) में धन का स्थानान्तरण	34
6.13	निवेश	34
6.14	आरक्षित निधि की स्थिति	34
6.15	भारत सरकार के लेखा मानकों का अनुपालन	37

अध्याय–I

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका–

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त ऑकड़ों को परितुलित, वर्गीकृत एवं संकलित करता है और छत्तीसगढ़ सरकार के लेखों का निर्माण करता है। यह संकलन 28 कोषालयों, 53 लोक निर्माण संभागों, 29 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों, 62 सिंचाई एवं 36 लोक स्वास्थ संभागों, 53 वन संभागों, 33 ग्रामीण विकास संभागों एवं चार सड़क निर्माण संभागों, अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष प्रतिमाह मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) सरकार के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों और व्यय की गुणवत्ता पर एक त्रैमासिक मूल्यांकन नोट भी प्रस्तुत करता है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे भी तैयार करता है जिसे महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा लेखापरीक्षा उपरांत तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रमाणीकरण के पश्चात् राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखों की संरचना–

1.2.1 सरकारी लेखे तीन भागों में तैयार किये जाते हैं–

भाग–1 **समेकित निधि**	कर तथा गैर कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों, उठाये गये ऋण एवं दिये गये ऋणों की अदायगी (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि में जमा होते हैं। ऋणों की अदायगी तथा लिये गये ऋणों की वापसी (ब्याज सहित) सहित सरकार के समस्त खर्चों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।
भाग–2 **आकस्मिकता निधि**	यह निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे अप्रत्याशित–व्यय (जिसका बजट मे प्रावधान नही किया गया है) की पूर्ति हेतु खर्च किया जाता है। बाद में इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति आकस्मिकता निधि से की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस निधि हेतु कायिक राशि ₹ 100 करोड़ है।
भाग–3 **लोक लेखे**	लोक लेखों में ऋण (भाग 1 में शामिल ऋणों के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषण तथा उचंत से संबंधित लेन–देन को दर्ज किया जाता है। इस भाग में ऐसे ऋण, जमा तथा अग्रिम शामिल हैं जिनके संबंध में सरकार धन वापिस देने का दायित्व लेती है या भुगतान की गई राशियों को वसूल करने का दावा कर सकती है (ऋण तथा जमा की अदायगियों और अग्रिमों की वसूली सहित)। प्रेषण तथा उचंत केवल समायोजन शीर्ष हैं जिन में कोषालयों और मुद्रा चेस्ट के बीच नकदी के प्रेषण तथा विभिन्न लेखा परिमण्डलों के बीच हस्तान्तरण को लिया जाता है। इन शीर्षों में प्रारम्भिक नामे व जमा का निपटान, बाद में उसी या किसी दूसरे परिमण्डल में सदृश प्राप्ति या अदायगी के द्वारा अथवा लेखा के अंतिम शीर्षों में बुक करके किया जाता है।

1.2.2 लेखों का संकलन

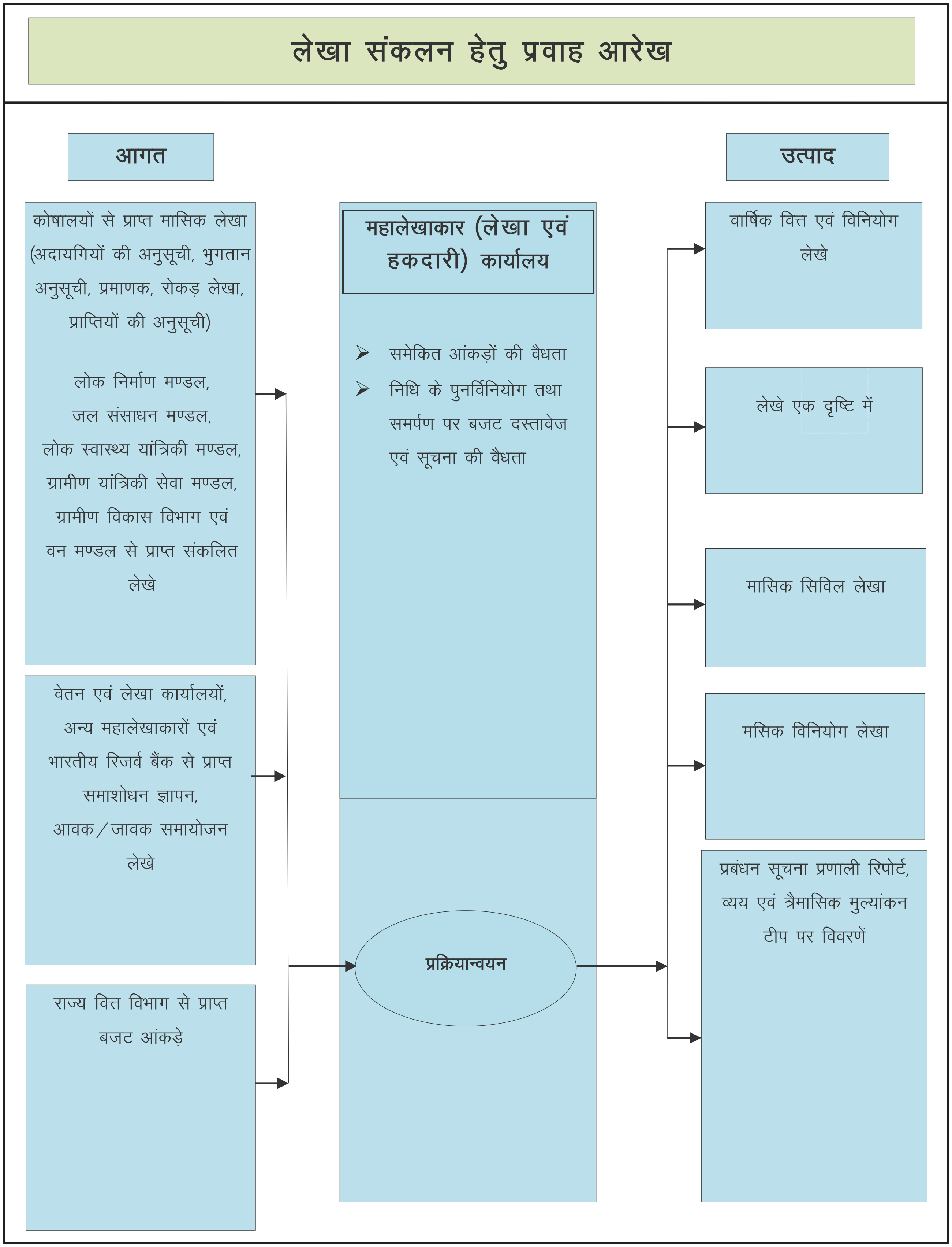
लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख
आगत
उत्पाद
कोषालयों से प्राप्त मासिक लेखा (अदायगियों की अनुसूची, भुगतान अनुसूची, प्रमाणक, रोकड़ लेखा, प्राप्तियों की अनुसूची)
लोक निर्माण मण्डल, जल संसाधन मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, ग्रामीण विकास विभाग एवं वन मण्डल से प्राप्त संकलित लेखे
वेतन एवं लेखा कार्यालयों, अन्य महालेखाकारों एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त समाशोधन ज्ञापन, आवक/जावक समायोजन लेखे
राज्य वित्त विभाग से प्राप्त बजट आंकड़े
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय
समेकित आंकड़ों की वैधता
निधि के पुनर्विनियोग तथा समर्पण पर बजट दस्तावेज एवं सूचना की वैधता
प्रक्रियान्वयन
वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखे
लेखे एक दृष्टि में
मासिक सिविल लेखा
मसिक विनियोग लेखा
प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट, व्यय एवं त्रैमासिक मुल्यांकन टीप पर विवरणें

1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे–

1.3.1 वित्त लेखे–

वित्त लेखे में, लेखाओं में अभिलेखित राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ–साथ उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण इंगित किये जाते है। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनात्मक बनाने के लिए, इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त लेखे के खण्ड–I में, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, सकल प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश विवरणियां एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'लेखाओं पर टिप्पणियां' का समावेश किया जाता है। खण्ड–II के अंतर्गत, विस्तृत विवरणियां (भाग–I) तथा परिशिष्ट (भाग–II) समावेश किए जाते हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान, लोक वित्त प्रबंधन संस्थान पोर्टल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य आयोजना में ₹ 22,551.06 करोड़ हस्तांतरित किया गया, जिसमें ₹ 13,782.46 करोड़ राज्य को सीधा आबंटित किया गया। ₹ 7,450.85 करोड़ का प्रत्यक्ष तौर पर भुगतान विभिन्न कियान्वयन अभिकरणों/अशासकीय सगठनों को किया गया जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं था एवं ₹ 1,317.75 करोड़ राज्य में स्थित केन्द्रीय निकायों एवं साथ ही साथ अन्य विभिन्न संगठनों को आबंटित किया गया तथा जिनके लिए भी राज्य बजट में कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए ₹ 8,768.60 करोड़ (₹ 7,450.85 करोड़ + ₹ 1,317.75 करोड़) को राज्य लेखे में नहीं दर्शाया गया है। ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खंड–2 के परिशिष्ट–VI में प्रदर्शित किए गए हैं।

1.3.2 वर्ष 2019–20 की वित्तीय झलकियां––

वर्ष 2019–20 के वास्तविक वित्तीय परिणाम के साथ–साथ बजट अनुमानों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया हैं:–

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	बजट अनुमान 2019–20	वास्तविक आंकड़े 2019–20	वास्तविक आंकडों का प्रतिशत बजट अनुमान से	वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत स.रा.घ.उ.[1] से
1	कर राजस्व[2]	50,847.00	42,323.69	83.24	12.86
2	गैर कर राजस्व	8,825.00	7,933.77	89.90	2.41
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	20,074.00	13,611.24	67.81	4.13
4	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**79,746.00**	**63,868.70**	**80.09**	**19.40**
5	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	283.00	256.78	90.73	0.08
6	उधार और अन्य दायित्व	11,513.25	17969.55[3]	156.07	5.46
6अ	पूंजीगत प्राप्तियां	0.00	4.83[4]	100	0.00
7	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+6अ)**	**11,796.25**	**18,231.16**	**154.55**	**5.54**
8	**कुल प्राप्तियां (4+7)**	**91,542.25**	**82,099.86**	**89.68**	**24.94**
9	**राजस्व व्यय**	**78,594.53**	**73,477.31**	**93.49**	**22.32**
10	**पूंजीगत व्यय**	**12,315.07**	**8622.55[5]**	**70.02**	**2.62**
11	**कुल व्यय (9+10)**	**90,909.60**	**82,099.86**	**90.31**	**24.94**
12	**राजस्व घाटा/आधिक्य {4–9}**	**1,151.47**	**9,608.61**	**834.46**	**2.92**
13	**राजकोषीय घाटा {4+5+6अ–11}**	**(–)10,880.60**	**17,969.55**	**165.15**	**5.46**

[1] ₹ 3,29,180.00 करोड़ के स.रा.घ.उ.के आंकड़ें आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

[2] संघीय करों के राज्यांश की राशि ₹ 20,205.84 करोड़ तथा राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹ 22,117.85 करोड़ सम्मिलित हैं।

[3] उधार एवं अन्य दायित्व ₹ 17,969.55 करोड़ में निवल लोक ऋण (₹ 10,892.50 करोड़), आकस्मिकता निधि (₹ 4.92 करोड़), लोक लेखा (₹ 5,656.42 करोड़) एवं निवल रोकड़ शेष (₹ 1,415.71 करोड़) सम्मिलित है।

[4] पूंजीगत प्राप्तियां में पूंजीगत प्राप्ति का ₹ 4.70 करोड़ एवं अर्न्तराज्यीय समाशोधन का ₹ 0.13 करोड़ शामिल है।

[5] पूंजीगत व्यय ₹ 8,622.55 करोड़ में निवल पूंजीगत व्यय (₹ 8,566.39 करोड़), ऋण एवं अग्रिम (₹ 56.11 करोड़) तथा अंतर्राज्यीय समाशोधन (₹ 0.05 करोड़) सम्मिलित है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, ₹ 9,608.61 करोड़ का राजस्व आधिक्य (2018–19 में ₹ 683.76 करोड़ का आधिक्य) एवं ₹ 17,969.55 करोड़ (2018–19 में ₹ 8,292.23 करोड़ का घाटा) का राज–कोषीय घाटा यह दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्रमशः 2.92 प्रतिशत एवं 5.46 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 21.89 प्रतिशत रहा।

1.3.3 वर्ष 2019–20 में प्राप्तियां एवं संवितरण–

वित्त लेखे 2019–20 में वर्णित छत्तीसगढ़ शासन के प्राप्तियों एवं संवितरण का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

प्राप्ति (*कुलः ₹82,099.86*)	*राजस्व* (कुलः ₹ 63,868.70)	**कर राजस्व**	**42,323.69**
		(अ) स्वयं कर राजस्व	22,117.85
		(ब) करों की निवल आय का शेयर	20,205.84
		करेत्तर राजस्व	**7,933.77**
		सहायता अनुदान	**13,611.24**
	पूंजीगत (कुलः ₹18,231.16)	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**4.70**
		ऋण तथा अग्रिम की वसूलियां	**256.78**
		उधार एवं अन्य दायित्व(*)	**17,969.55**
		अन्तर्राज्यीय समाशोधन	**0.13**
संवितरण (*कुलः ₹82,099.86*)	**राजस्व**		**73,477.31**
	पूंजीगत		**8,566.39**
	उधार और अग्रिम		**56.11**
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन		**0.05**

(*)उधार और अन्य दायित्वः–निवल लोक ऋण+निवल आकस्मिकता निधि+निवल लोक लेखा+निवल रोकड़ शेष।

1.3.4. विनियोग लेखे–

संविधान के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता है। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित निधि को प्रभारित किया जाता है तथा जिन्हें विधायिका के वोट के बिना किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय का 'दत्तमत' होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ सरकार की बजट में 45 प्रभारित विनियोजन तथा 69 दत्तमत अनुदान हैं। विनियोग लेखाओं का उद्देश्य यह दर्शाना है कि विनियोग के साथ संकलित किए गए वास्तविक व्यय को किस सीमा तक प्रतिवर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

1.3.5. बजट तैयारी की दक्षता–

वर्ष के अंत में, छत्तीसगढ़ सरकार का सकल व्यय, विधानमंडल द्वारा स्वीकृत बजट के विरूद्ध ₹ 14,652.10 करोड़ (₹ 1,06,913.45 करोड़ के बजट अनुमानों का 13.70 प्रतिशत) की निवल बचत और ₹ 1,116.89 करोड़ का आधिक्य (₹ 2,583.34 करोड़ के बजट अनुमानों का 43.23 प्रतिशत) को दर्शाया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज्य विधानमंडल, परिवहन से संबंधित कुछ अनुदानों ने पर्याप्त बचत हुई।

1.4 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों (₹ 0.72 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिये जाते है। वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य शासन ने ₹ 6,658.68 करोड़ की विशेष आहरण सुविधा का लाभ लिया एवं इस सुविधा के रोकड़ शेष को 36 दिनों के लिए संधारित किया गया है।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाये रखे जाने वाले न्यूनतम नकद शेषों (₹ 0.72 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम लेने के बावजूद यदि कमी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई भी ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया।

1.4.3 निधियों के प्रवाह का विवरण

31 मार्च 2020 की स्थिति में राज्य के पास ₹ 9,608.61 करोड़ का राजस्व घाटा एवं ₹ 17,969.55 करोड़ का राजकोषीय घाटा था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 2.92 एवं 5.46 प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा वेतन में ₹ 20,998.97 करोड़, ब्याज भुगतान में ₹ 5,011.35 करोड़, पेंशन में ₹ 6,611.11 करोड़, आर्थिक सहायता में ₹ 11,483.23 करोड़ एवं सहायता अनुदान में ₹ 20,328.74 करोड़ व्यय किए गए हैं।

(*वर्ष 2019–20 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,29,180.00 करोड़ था तथा आँकड़े आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय की वेबसाईट से लिए गए हैं।)

निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
स्त्रोत	01.04.2019 को प्रारंभिक नकद शेष	320.72
	राजस्व प्राप्तियां	63,868.70
	पूंजीगत प्राप्तियां	4.70
	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	256.78
	लोक ऋण	19,587.53
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	2,013.00
	आरक्षित एवं शोधन निधियां	7,007.85
	जमा प्राप्ति	3,313.34
	सिविल अग्रिम प्राप्ति	510.19
	उचन्त लेखे	1,52,357.50*
	प्रेषण	9,010.70
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	0.13
	आकस्मिकता निधि	4.92
	योग	**2,58,256.06**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	73,477.31
	पूंजीगत व्यय	8,566.39
	प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	56.11
	लोक ऋण का पुर्नभुगतान	8,695.03
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	1,227.74
	आरक्षित तथा शोधन निधियां	6,198.61
	जमा वापसी	3,837.39
	प्रदत्त सिविल अग्रिम	510.28
	उचंत लेखे एवं विविध	1,47,852.23**
	प्रेषण	8,929.91
	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	0.05
	31.03.2020 को नकद अंतशेष	(–)1,094.99
	योग	**2,58,256.06**

* नकद शेष निवेश लेखा में ₹ 84,299.36 करोड़ शामिल है।

**नकद शेष निवेश लेखा में ₹ 79,787.16 करोड़ शामिल है।

1.4.4 ₹ कहाँ से आया

वास्तविक प्राप्तियां

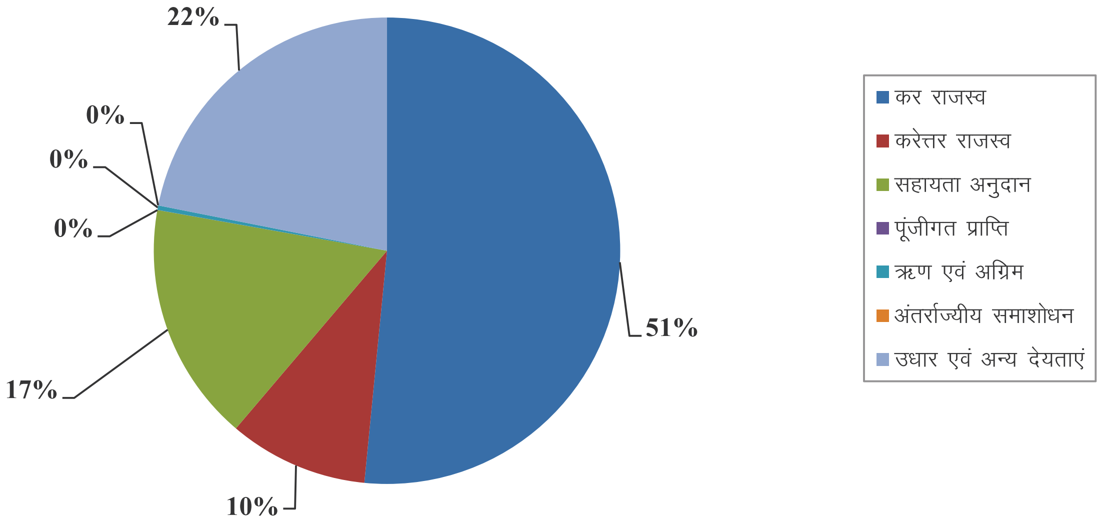

(पूंजीगत प्राप्तियां, अंतर्राज्यीय समाशोधन एवं ऋण की वसुली तथा अग्रिम की राशि नगण्य थी, इसलिए इसे शून्य दर्शाया गया है।)

1.4.5 ₹ कहाँ गया

वास्तविक व्यय

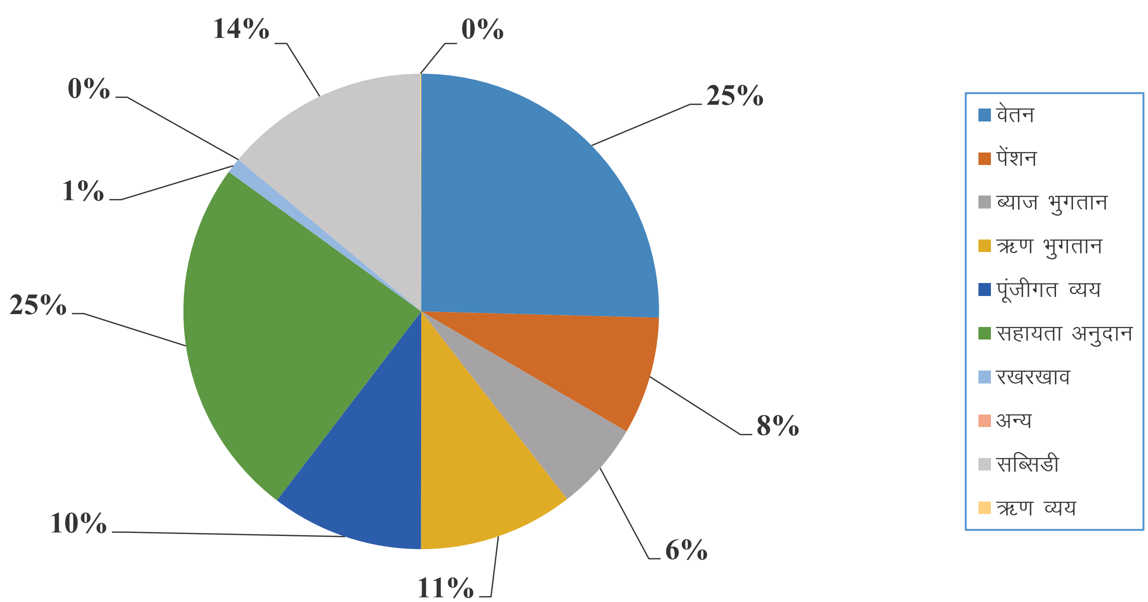

वर्ष 2019–20 के दौरान, ₹ 9,608.61 करोड़ का राजस्व घाटा (वर्ष 2018–19 में ₹ 683.76 करोड़ का आधिक्य) एवं ₹ 17,969.55 करोड़ का राजकोषीय घाटा (वर्ष 2018–19 में ₹ 8,292.23 करोड़ का राजकोषीय घाटा) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 2.92 प्रतिशत तथा 5.46 प्रतिशत दर्शाता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 21.89 प्रतिशत रहा।

घाटा एवं आधिक्य क्या इंगित करते हैं?	
घाटा	राजस्व तथा व्यय के बीच के अंतर से संबंधित है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्त पोषन कैसे हो तथा निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय–प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।
राजस्व घाटा/आधिक्य	राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। राजस्व व्यय की आवश्यकता सरकार की वर्तमान स्थापना के रख–रखाव हेतु होती है तथा आदर्श स्वरूप राजस्व प्राप्तियों से ही इसे पूर्णतया वहन किया जाना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/आधिक्य	सकल प्राप्तियों (उधारियों रहित) तथा सकल व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह अंतर इसलिए यह इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्तपोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005

घाटा संकेतक, राजस्व संवर्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जॉचने के मुख्य मापदंड हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 को लागू किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि में नियत राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था। वर्ष 2019–20 के दौरान अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये नियमों में दिए राजकोषीय लक्ष्यों पर उपलब्धियां निम्न प्रकार थी:–

क्र.सं.	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जी.एस.डी.पी. का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा	9,608.61	अधिशेष	अधिशेष (प्राप्त)
2	राजकोषीय घाटा	17,969.55	2.99	5.46
3	ऋण और अन्य दायित्व	78,712.46	21.23	23.91

* वर्ष 2019–20 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,29,180.00 करोड़ की जानकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण विधानमंडल में प्रस्तुत किये।

वर्ष 2019–20 में राज्य शासन का राजस्व घाटा ₹ 9,608.61 करोड़ था जो कि एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं था। वर्ष 2018–19 में राजकोषीय घाटा ₹ 8,292.23 करोड़ था जो ₹ 9,677.32 करोड़ बढ़कर वर्तमान वित्त वर्ष में ₹ 17,969.55 करोड़ हो गया जो कि एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के 2.99 प्रतिशत के लक्ष्य को पूर्ण न करते हुए जी.एस.डी.पी. का 5.46 प्रतिशत रहा।

1.5.1 राजस्व घाटे/आधिक्य के रूझान

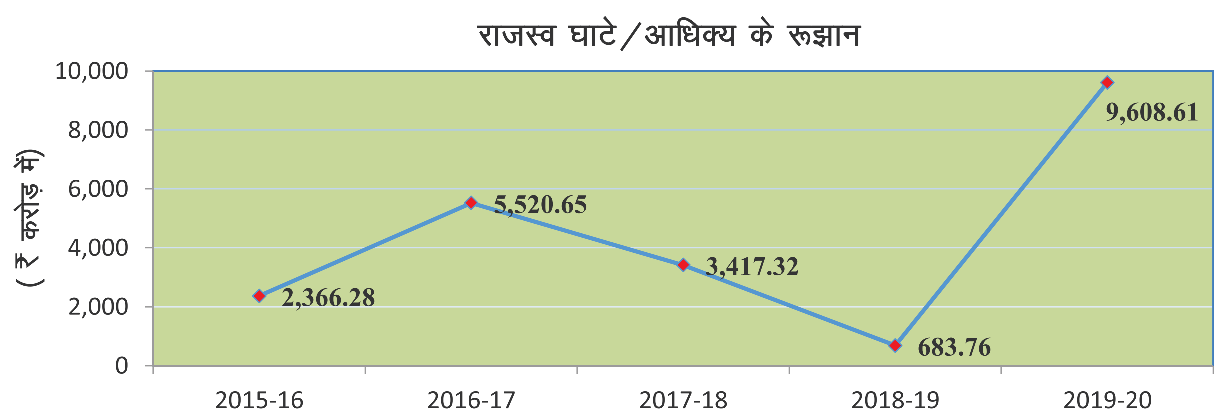

1.5.2 राजकोषीय घाटे का रूझान–

राजकोषीय घाटे का रूझान

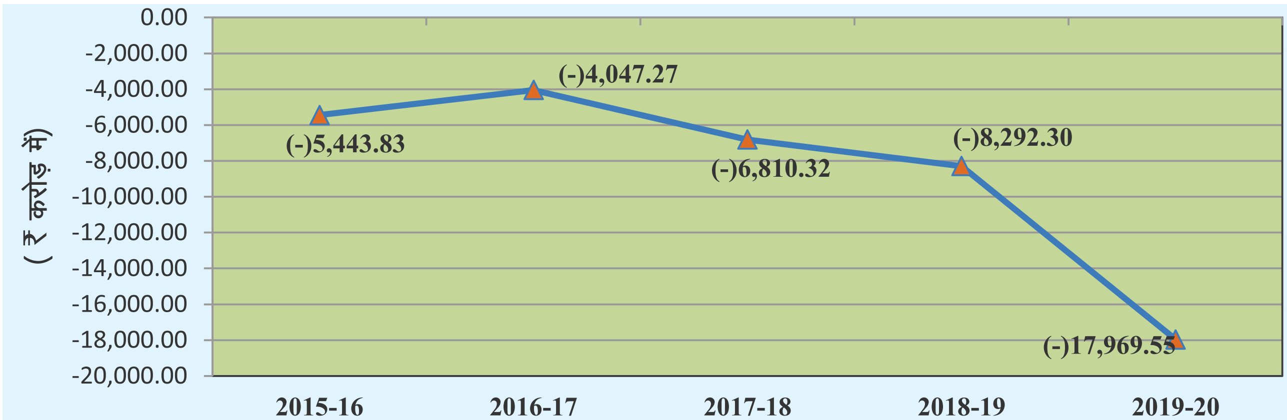

1.5.3 उधार निधि से पूंजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय
2015–16	7,251.15	7,945.01
2016–17	5,479.93	9,470.51
2017–18	9,652.44	10,000.96
2018–19	14,370.10	8,903.45
2019–20	19,587.53	8,566.39

पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधियां

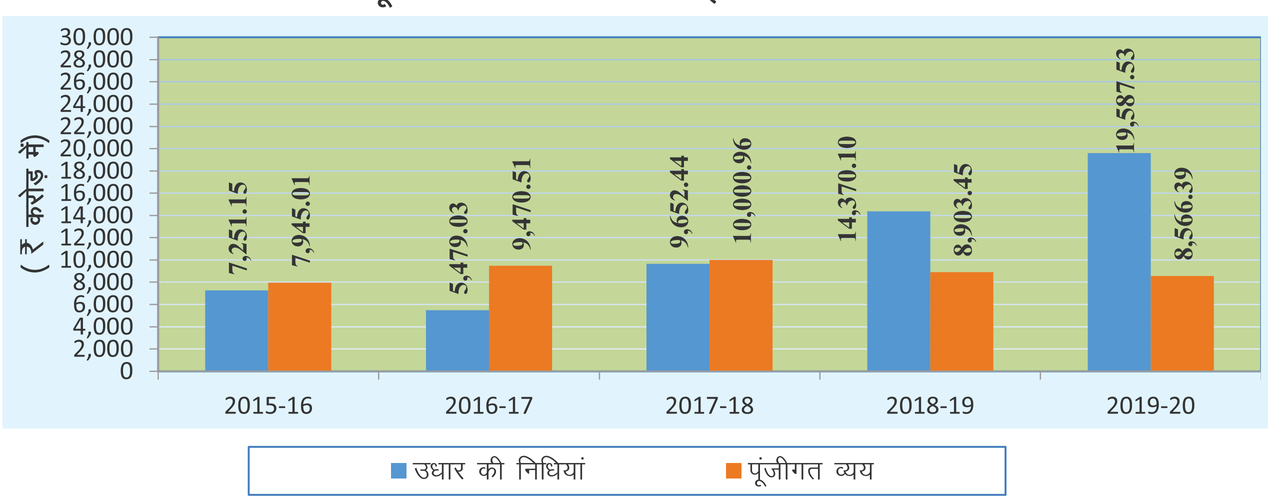

सरकार आमतौर पर राजकोषीय घाटे पर चलती है और पूंजी/परिसंपत्तियां बनाने के लिए या आर्थिक और सामाजिक अधोसंरचना के सृजन के लिए धन उधार लेती है, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई संपत्ति से आय प्राप्त करें जिससे ऋण का भुगतान स्वंय कर सके। इस प्रकार पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उधार ली गई निधियों का पूरी तरह उपयोग करना और मूलधन एवं ब्याज की अदायगी के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना वांछित है। राज्य शासन ने वर्तमान वर्ष में ₹ 19,587.53 करोड़ के उधार की निधियों में से ₹ 8,566.39 करोड़ पूंजीगत व्यय पर खर्च किए।

अध्याय–2

प्राप्तियाँ

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2019–20 में कुल प्राप्तियां ₹ 82,099.86 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

सरकार के राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं:–कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान।

कर राजस्व	इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अंतर्गत केन्द्रीय करों मे राज्यों का हिस्सा सम्मिलित होते हैं।
गैर कर–राजस्व	इसके अतंर्गत ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियां आदि सम्मिलित होते हैं।
सहायता अनुदान	सहायता अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय–सहायता को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें विदेश सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सारणीबद्ध ''वैदेशिक सहायता अनुदान'' तथा सहायता, सहायता–सामग्री व उपकरण भी शामिल हैं। बदले में, राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थानों, स्वायत्त निकायों आदि जैसे संस्थानों को सहायता अनुदान भी देती है।

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2019–20)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकड़े	राजस्व प्राप्तियोंका प्रतिशत
क. कर राजस्व	**42,323.69**	**66.27**
वस्तु तथा सेवा कर	13,628.53	21.33
आय व व्यय पर कर	12,288.57	19.24
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	2,186.43	3.42
व्यापारिक वस्तुओं व सेवाओं पर कर	14,220.16	22.26
ख. गैर कर–राजस्व	**7,933.77**	**12.42**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	234.80	0.37
सामान्य सेवाएं	248.34	0.39
सामाजिक सेवाएं	210.43	0.33
आर्थिक सेवाएं	7,240.20	11.34
ग. सहायता अनुदान एवं अंशदान	**13,611.24**	**21.31**
योग–राजस्व प्राप्तियां	**63,868.70**	**100**

वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त राजस्व प्राप्तियों में 66.27 प्रतिशत कर राजस्व और 12.42 प्रतिशत गैर कर राजस्व सम्मिलित है जबकि शेष 21.31 प्रतिशत सहायता अनुदान से प्राप्त किया गया है।

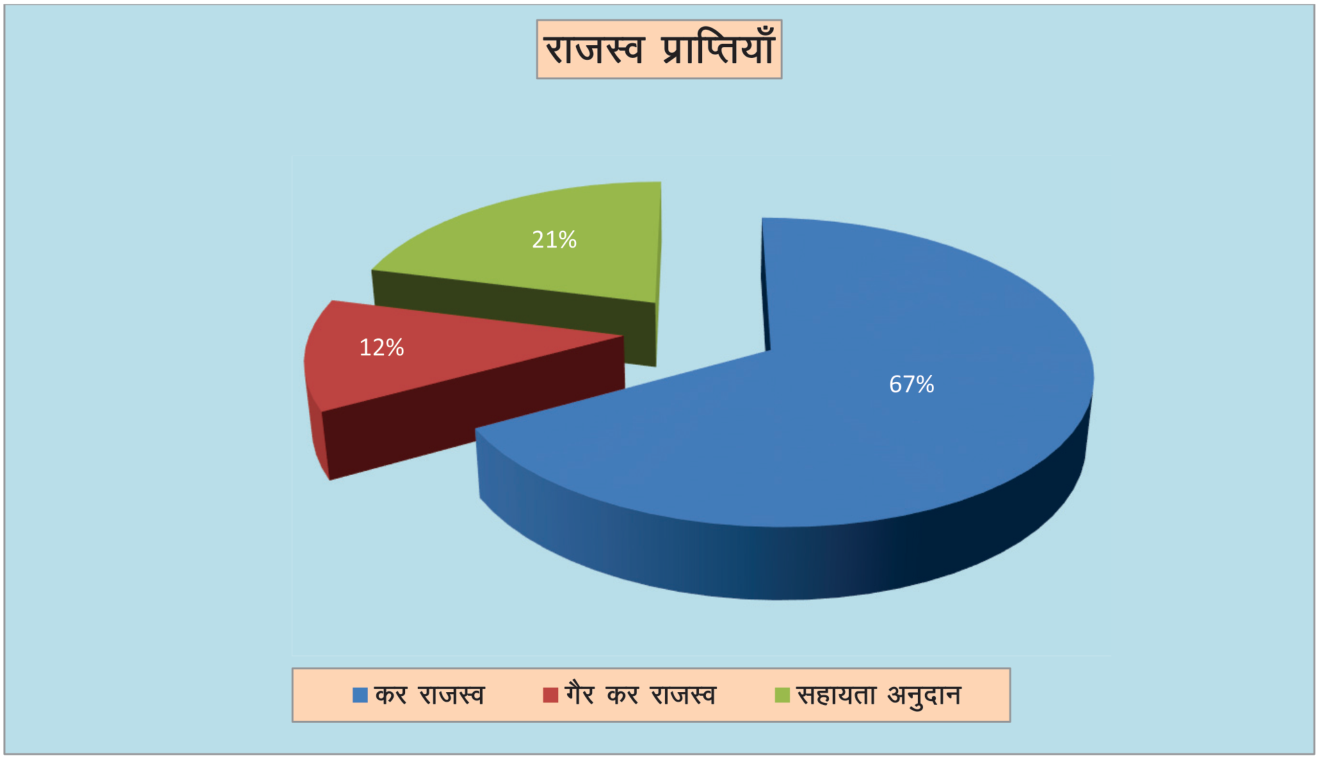

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
कर राजस्व (राज्य द्वारा संग्रहित)	17,074.86 (6.55)	18,945.21 (6.53)	19,894.68 (6.82)	21,427.26 (6.88)	22,117.85 (6.72)
संघ के करों / शुल्कों में राज्य का हिस्सा	15,716.47 (6.03)	18,809.16 (6.48)	20,754.81 (7.12)	23,458.69 (7.53)	20,205.84 (6.14)
गैर कर–राजस्व	5,214.79 (2.00)	5,669.25 (1.95)	6,340.42 (2.17)	7,703.02 (2.47)	7,933.77 (2.41)
सहायता अनुदान	8,061.59 (3.09)	10,261.63 (3.54)	12,657.16 (4.34)	12,505.96 (4.01)	13,611.24 (4.13)
कुल– राजस्व प्राप्तियां	**46,067.71 (17.67)**	**53,685.25 (18.50)**	**59,647.07 (20.45)**	**65,094.93 (20.89)**	**63,868.70 (19.40)**
जी.एस.डी.पी.	**2,60,776.00**	**2,90,140.00**	**2,91,680.72**	**3,11,659.54**	**3,29,180.00**

टिप्पणी:– लघुकोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 5.62 प्रतिशत की वद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्ति में 1.88 प्रतिशत की कमी हुई। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व एवं गैर राजस्व में क्रमशः 3.22 प्रतिशत तथा 3.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि सहायता अनुदान में 8.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

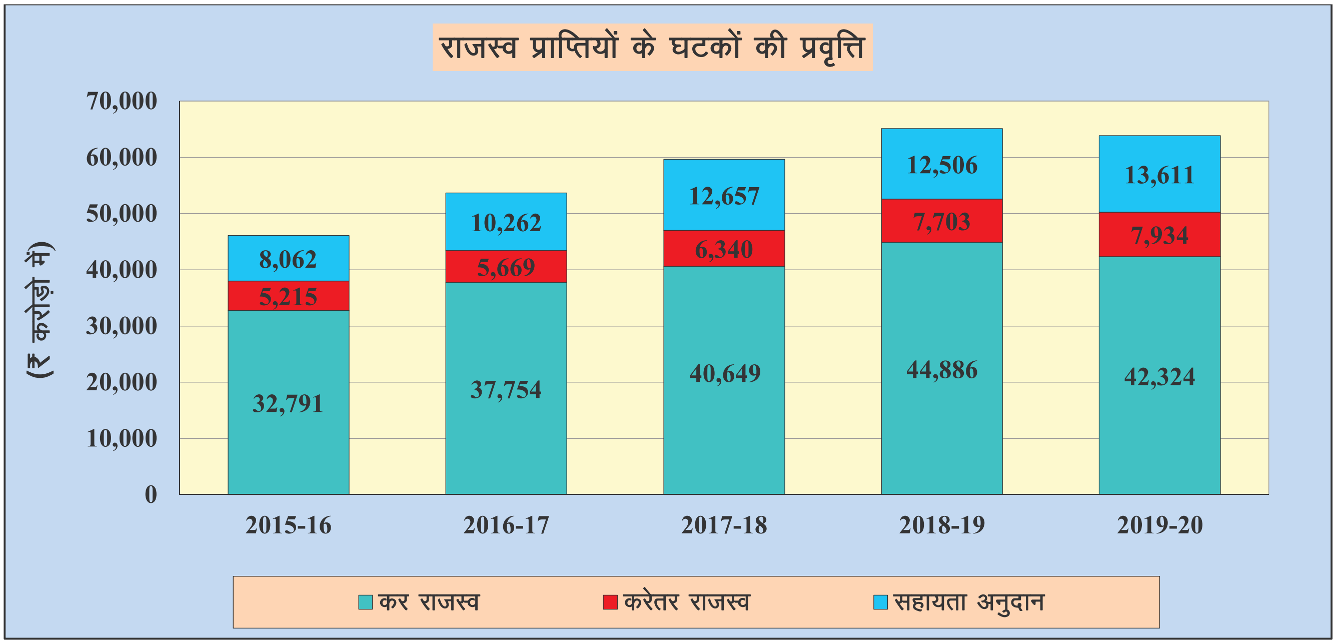

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार राजस्व प्राप्तियां					
विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
वस्तु तथा सेवा कर	लागू नहीं	लागू नहीं	6,772.36 (2.32)	14,454.74 (4.64)	13,628.53 (4.14)
आय व व्यय पर कर	8,413.19 (3.23)	10,212.43 (3.52)	11,721.47 (4.02)	14,208.08 (4.56)	12,288.57 (3.73)
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेन देनों पर कर	1,549.98 (0.59)	1,728.79 (0.59)	1,643.69 (0.56)	1,599.01 (0.51)	2,186.43 (0.66)
व्यापारिक वस्तुओं व सेवाओं पर कर	22,828.16 (8.75)	25,813.15 (8.90)	**20,511.97** (7.03)	14,624.12 (4.69)	14,220.16 (4.32)
कुल–कर राजस्व	**32,791.33 (12.57)**	**37,754.37 (13.01)**	**40,649.49 (13.94)**	**44,885.95 (14.40)**	**42,323.69 (12.86)**
जी.एस.डी.पी.	**2,60,776.00**	**2,90,140.00**	**2,91,680.72**	**3,11,659.54**	**3,29,180.00**

टिप्पणीः–: लघुकोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य सरकार का कर राजस्व 2018–19 में प्राप्त ₹ 44,885.95 करोड़ से 5.70 प्रतिशत कम होकर ₹ 42,323.69 करोड़ रहा। वर्ष 2019–20 में सकल कर राजस्व में कमी भारत सरकार से केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर के तहत राज्य अंश कम प्राप्त होने (₹ 5,733.71 करोड़), निगम कर (₹ 6,889.42 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 5,398.34 करोड़), सम्पत्ति कर (₹ 0.30 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 1,280.78 करोड़) तथा संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 890.49 करोड़) आदि के प्राप्त होने के कारणों से रही।

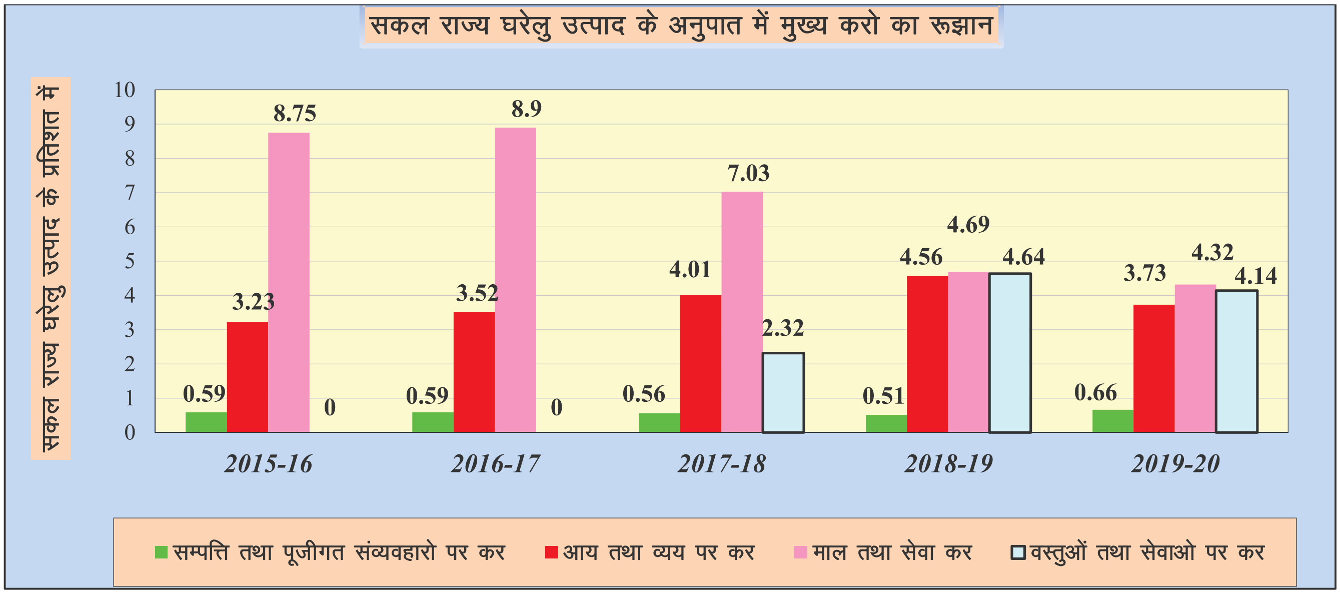

2.3.1 राज्य के स्वयं के कर एवं संघीय करों में राज्य का हिस्सा

राज्य सरकार का कर राजस्व दो स्रोतों अर्थात राज्य के स्वंय के कर संग्रह और संघ करों के अंतरण से आता है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघ करों में राज्य का अंश	राज्य के स्वंय का कर राजस्व	
			कर राजस्व	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
2015–16	32,791.33	15,716.47	17,074.86	6.55
2016–17	37,754.37	18,809.16	18,945.21	6.53
2017–18	40,649.49	20,754.81	19,894.68	6.82
2018–19	44,885.95	23,458.69	21,427.26	6.88
2019–20	42,323.69	20,205.84	22,117.85	6.72

निम्नलिखित सारणी पांच वर्षों की अवधि में दोनों स्रोतों से प्राप्त कर राजस्व राशि की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाती है–

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
राज्य का स्वयं कर संग्रहण	17,074.86	18,945.21	19,894.68	21,427.26	22,117.85
संघ करों का अंतरण	15,716.47	18,809.16	20,754.81	23,458.69	20,205.84
कुल कर राजस्व	32,791.33	37,754.37	40,649.49	44,885.95	42,323.69
कुल कर राजस्व में राज्य के स्वयं के कर का प्रतिशत	52	50	49	48	52

सम्पूर्ण कर राजस्व में राज्य के स्वंय के कर संग्रहण का अनुपात वर्ष 2015–16 में 52 प्रतिशत से लगातार कम हो रहा है जो वर्ष 2018–19 में घटकर 48 प्रतिशत रहा तथा वर्ष 2019–20 में बढ़कर 52 प्रतिशत रहा।

2.3.2 पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य के स्वयं के कर संग्रहन का रूझान

(₹ करोड़ में)

कर	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1. बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर	8,908.36	9,927.21	6,449.60	4,087.72	3,931.37
2. राज्य उत्पाद शुल्क	3,338.40	3,443.51	4,054.00	4,489.03	4,952.36
3. वाहनों पर कर	829.22	985.21	1,180.01	1,204.85	1,274.85
4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क	1,185.22	1,211.35	1,197.47	1,108.46	1,634.63
5. विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,372.84	1,495.48	1,688.96	1,790.27	1,837.00
6. भू–राजस्व	363.84	503.66	446.41	487.57	551.50
7. माल तथा यात्री कर	1,040.26	1,340.36	477.66	54.51	40.51
8. राज्य वस्तु एवं सेवा कर	–	–	4,386.56	8,203.41	7,894.82
9. अन्य कर	36.72	38.37	14.01	1.44	0.81
राज्य के स्वयं के कुल कर	**17,074.86**	**18,945.21**	**19,894.68**	**21,427.26**	**22,117.85**

2.4 कर वसूली पर लागत

(₹ करोड़ में)

कर	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1. बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर (0040) एवं (2040)					
राजस्व संग्रहण	8,908.36	9,927.21	6,449.60	4,087.72	3,931.37
संग्रहण पर व्यय	51.22	56.71	67.23	62.73	69.36
कर वसूली पर लागत	0.57	0.57	1.04	1.53	1.76
2. राज्य उत्पाद शुल्क (0039) एवं (2039)					
राजस्व संग्रहण	3,338.40	3,443.51	4,054.00	4,489.03	4,952.36
संग्रहण पर व्यय	58.79	131.54	171.67	71.66	73.98
कर वसूली पर लागत	1.76	3.82	4.23	1.60	1.49
3. वाहन, वस्तु तथा यात्री कर (0041) एवं (2041)					
राजस्व संग्रहण	829.22	985.27	1,180.01	1,204.85	1,274.85
संग्रहण पर व्यय	12.85	14.95	15.52	18.86	21.41
कर वसूली पर लागत	1.55	1.52	1.32	1.57	1.68
4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क (0030) एवं (2030)					
राजस्व संग्रहण	1,185.21	1,211.35	1,197.47	1,108.46	1,634.63
संग्रहण पर व्यय	25.12	24.77	22.26	18.38	20.00
कर वसूली पर लागत	2.12	2.04	1.86	1.66	1.22

वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर वसूली लागत 0.57 प्रतिशत से बढ़कर 1.76 प्रतिशत हो गई तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क पर कर वसूली लागत 2.12 प्रतिशत से कम होकर 1.22 प्रतिशत रही।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश का पिछले पांच वर्षों का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	291.44	5,789.33	5,733.71
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	2,094.36	462.00	0.00
निगम कर	4,950.08	6,019.53	6,352.98	8,157.09	6,889.42
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	3,455.09	4,183.59	5,364.62	6,007.35	5,398.34
आय एवं व्यय पर अन्य कर	0.00	0.00	0.00	42.48	0.00
सम्पत्ति कर	0.92	13.78	(–)0.19	2.98	0.30
सीमा शुल्क	2,504.03	2,589.37	2,093.70	1,662.66	1,280.78
संघ उत्पाद शुल्क	2,069.99	2,956.84	2,188.50	1,104.93	890.49
सेवा कर	2,727.11	3,045.99	2,369.40	217.76	0.00
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	9.16	0.06	0.00	12.11	12.80
संघीय करों का राज्यांश	**15,716.47**	**18,809.16**	**20,754.81**	**23,458.69**	**20,205.84**
कुल राजस्व कर	**32,791.33**	**37,754.37**	**40,649.49**	**44,885.95**	**42,323.69**
कुल कर राजस्व में संघीय करों का प्रतिशत	48	50	51	52	48

संघीय करों में राज्यांश वर्ष 2015–16 में ₹ 15,716.47 करोड़ था जो कि 2018–19 में बढ़कर ₹ 23,458.69 करोड़ हो गया जो वर्ष 2019–20 में घटकर ₹ 20,205.84 करोड़ हो गया।

2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें नीति आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य स्कीमों, केन्द्रीय स्कीमों तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत प्रदत्त अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए राज्य अनुदान समाहित है।

वर्ष 2019–20 के दौरान सहायता अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां कुल ₹ 13,611.24 करोड़ थी, जो नीचे दर्शायी गयी है:–

सहायता अनुदान

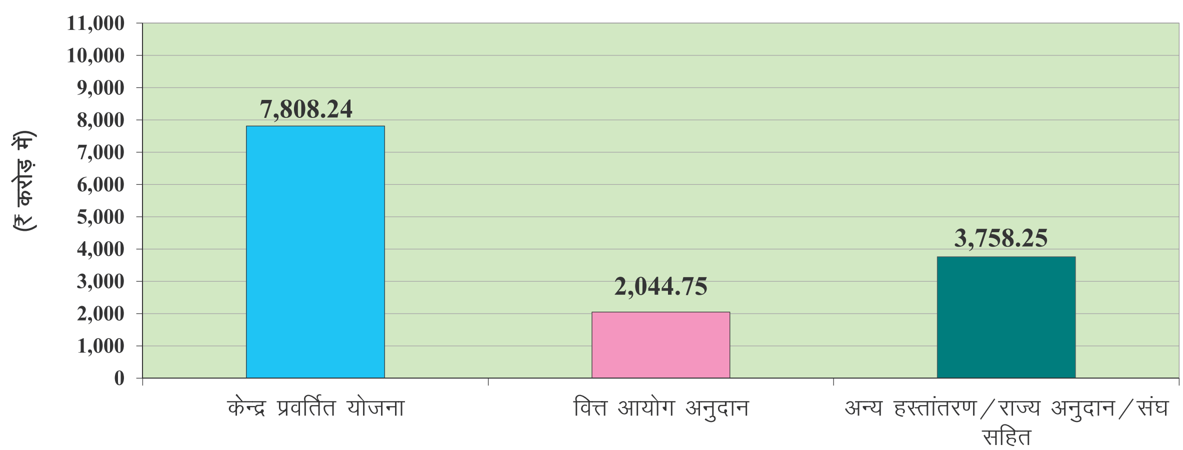

वर्ष 2017–18 से योजनागत और गैर–योजनागत स्कीमों के बीच अंतर के समाप्त होने के कारण भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों को तीन श्रेणियों अर्थात ''केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान'', ''वित्त आयोग अनुदान'' और''राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल सहित) को अन्य हस्तांतरण/अनुदान'' में प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2018–19 में ₹ 12,505.96 करोड़ से बढ़कर ₹ 13,611.24 करोड़ हो गया अर्थात इसमें कुल 8.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सहायता अनुदान का रूझान

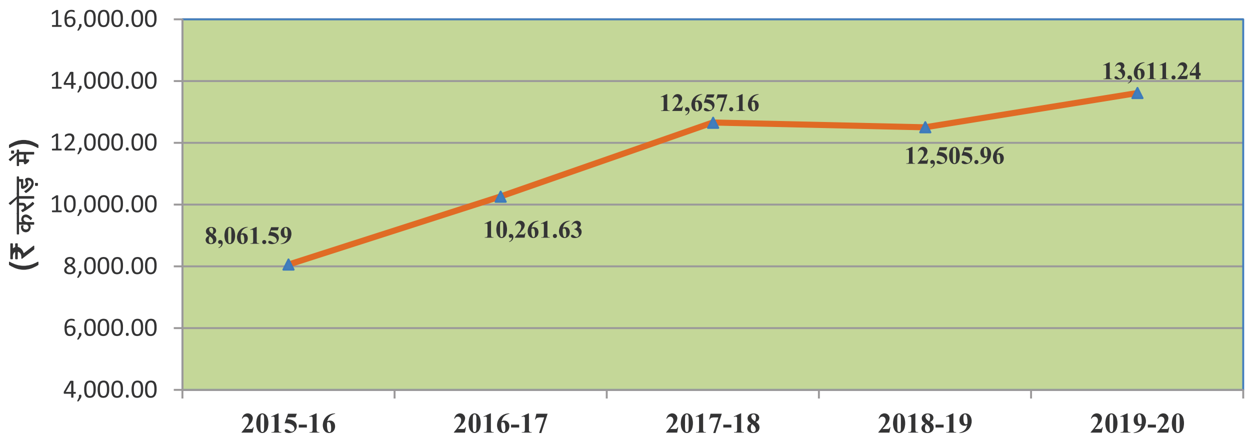

2.7 लोक ऋण

पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण का रूझानः–

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
आंतरिक ऋण	24,214.56	28,330.29	36,690.44	49,553.83	60,382.67
केन्द्रीय ऋण	1,835.59	2,047.16	2,339.57	2,700.39	2,764.05
योग	**26,050.15**	**30,377.45**	**39,030.01**	**52,254.22**	**63,146.72**

वर्ष 2019–20 में खुले बाजार से 7.03 से 7.59 प्रतिशत की ब्याज दरों पर ₹ 11,680.00 करोड़ के 09 ऋण लिए गए जो वर्ष 2026–30 की अवधि में प्रतिदेय हैं। साथ ही राज्य सरकार ने नाबार्ड से ₹ 969.67 करोड़ एवं ₹ 6,658.68 करोड विशेष आहरण सुविधा के रूप में ऋण लिया। अतः वर्ष 2019–20 में शासन द्वारा लिए गए आंतरिक ऋण में ₹ 19,308.36 करोड़ की वृद्धि हुई। शासन ने भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम के रूप में ₹ 279.18 करोड़ का ऋण भी प्राप्त किया।

2.7.1 ऋण सेवा अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान विमुक्त राशि	ब्याज भुगतान	कुल सेवा भुगतान	31.03.2020 तक अंत शेष राशि	ऋण सेवा अनुपात
6003–राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	8,479.52	4,090.62	12,570.14	60,382.67	20.82:100
6004–केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम	215.51	133.76	349.27	2,764.05	12.64 :100
कुल लोक ऋण	**8,695.03**	**4,224.38**	**12,919.41**	**63,146.72**	**20.46:100**

2.8. पिछले पांच वर्षों के दौरान निवल लोक ऋण का रूझान

नीचे दी गई सारणी पिछले वर्षों की तुलना में लोक ऋण की निवल वृद्धि को प्रदर्शित करती है जिसकी गणना पिछले वर्ष के अंतिम शेष, वर्ष के दौरान प्राप्तियां एवं भुगतान को ध्यान में रखकर की जाती है।

(₹ करोड़ में)

मद	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
आंतरिक ऋण	6,019.76	4,115.73	8,360.15	12,863.39	10,828.83
केन्द्रीय ऋण	(–)18.79	211.57	292.41	360.82	63.67
कुल लोक ऋण	**6,000.79**	**4,327.30**	**8,652.56**	**13,224.21**	**10,892.50**

टीपः–1. ऋणात्मक आंकड़ें प्राप्तियों से अधिक पुनर्भुगतान किया जाना दर्शाता है।
2. शुद्ध आंकड़ें = प्राप्ति–वितरण।

2.9 उधार की निधियां तथा पूंजीगत व्यय

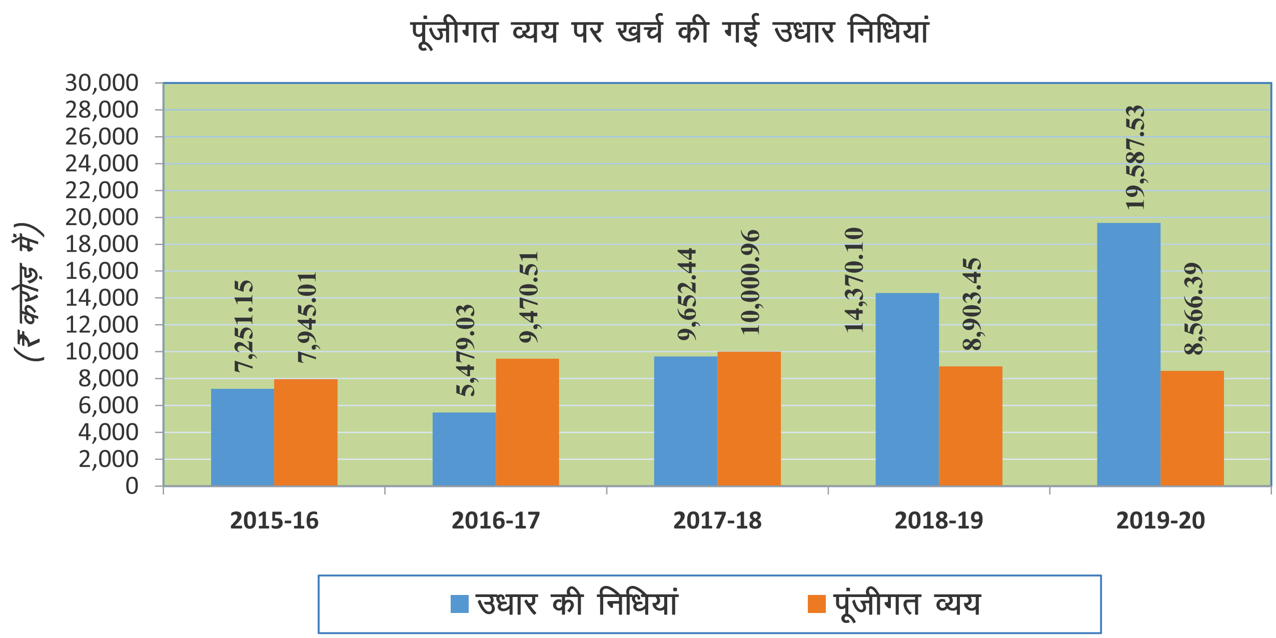

अध्याय–III

व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग सरकारी तंत्र के दैनिक कार्य–संचालन के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय को स्थाई परिसंपतियों के सृजन अथवा ऐसी परिसंपतियों की उपयोगिता मे वृद्धि या स्थाई दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

सरकारी लेखों में व्यय को मुख्यतः तीन खण्डों में बॉटा गया है:– सामान्य सेवायें, सामाजिक सेवायें तथा आर्थिक सेवायें। इन खण्डों के अंतर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों में व्यय को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सामान्य सेवाएं	इसमें न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण, पेंशन इत्यादि सम्मिलित है।
सामाजिक सेवाएं	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण इत्यादि सम्मिलित है।
आर्थिक सेवाएं	इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित है।

3.2 राजस्व व्यय

छत्तीसगढ़ शासन के विगत पॉच वर्षों के बजट अनुमान के विरूद्ध वास्तविक व्यय के मध्य अन्तर का प्रतिशत निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
बजट अनुमान	53,726.82	56,389.53	61,312.83	68,422.62	78,594.33
वास्तविक व्यय	43,701.06	48,164.60	56,229.75	64,411.17	73,477.31
अन्तर	10,028.76	8,224.93	5,083.08	4,011.45	5,117.02
बजट अनुमान से वास्तविक के अन्तर का प्रतिशत	19	15	8	6	7

उपर की सारणी से स्पष्ट है कि बजट अनुमान से वास्तविक व्यय के अन्तर का प्रतिशत वर्ष 2015–16 से गिरावट दर्शाता है तथा इस प्रकार यह बजट की तैयारियों में सुधार को दिखाता है।

3.2.1 प्रतिबद्ध राजस्व व्यय

वर्ष 2019–20 के दौरान कुल राजस्व व्यय के लगभग 54 प्रतिशत वेतन एवं मजदूरी पर (₹ 21,622.57 करोड़), ब्याज अदायगी पर (₹ 4,978.12 करोड़), पेंशन पर (₹ 6,611.11 करोड़) तथा अनुदान पर (₹ 11,483.23 करोड़) खर्च किया गया जो कि राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं हैं।

विगत पांच वर्षो के प्रतिबद्ध एवं अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति का विवरण निम्नवत् है:–

(₹ करोड़ में)

घटक	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
कुल राजस्व व्यय	43,701.06	48,164.60	56,229.75	64,411.17	73,477.31
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	24,092.83	21,989.62	25,420.78	26,863.29	44,695.03
कुल राजस्व व्यय में से प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	55	46	45	45	61
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	19,608.23	26,174.98	30,808.97	37,547.88	28,782.28

प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी, ब्याज अदायगी, पेंशन एवं अनुदान का व्यय सम्मिलित हैं।

यह देखा जा सकता है कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय 2015–16 में ₹ 19,608.23 करोड़ से 46.79 प्रतिशत बढ़कर 2019–20 में ₹ 28,782.28 करोड़ पहुंच गया। कुल राजस्व व्यय 2015–16 में ₹ 43,701.06 करोड़ से 68.14 प्रतिशत बढ़कर 2019–20 में ₹ 73,477.31 करोड़ हो गया तथा उसी अवधि के लिए प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 85.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.2.2 राजस्व व्यय का क्षेत्र–वार विवरण वर्ष 2019–20

(₹ करोड़ में)

घटक	राशि	प्रतिशत
1. राज्य के अंग	**682.50**	**0.93**
2. सामाजिक सेवाएं	**1022.45**	**1.39**
(i) सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेन पर कर संग्रहण	609.24	0.83
(ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण	413.21	0.56
(iii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.00	0.00
3. ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवाएं	**5,235.34**	**7.13**
4.प्रशासनिक सेवाएं	**5,516.83**	**7.51**
5.पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	**6,638.22**	**9.03**
6.सामाजिक सेवाएं	**26,652.57**	**36.27**
7. आर्थिक सेवाएं	**26,609.08**	**36.21**
8. सहायता अनुदान तथा अंशदान	**1,120.32**	**1.52**
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**73,477.31**	**100**

उपर की सारणी से स्पष्ट है कि राज्य शासन ने अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी है तथा कुल व्यय में क्रमशः 36.21 एवं 36.27 प्रतिशत व्यय इन पर किया गया है।

3.2.3 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (वर्ष 2015–16 से 2019–20)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1.	सामान्य सेवाएं* (ऋण सेवाओं पर व्यय के अतिरिक्त)	8,960	9,760	10,937	12,423	14,980.32
2.	सामाजिक सेवाएं	16,339	21,342	24,372	23,454.94	26,652.57
3.	आर्थिक सेवाएं	16,053	14,176	17,623	24,781	26,609.08
4.	ऋण सेवाएं	2,349	2,887	3,298	3,753	5,235.34

*सहायता अनुदान तथा अंशदान सम्मिलित है।

राजस्व व्यय के मुख्य घटकों का रूझान

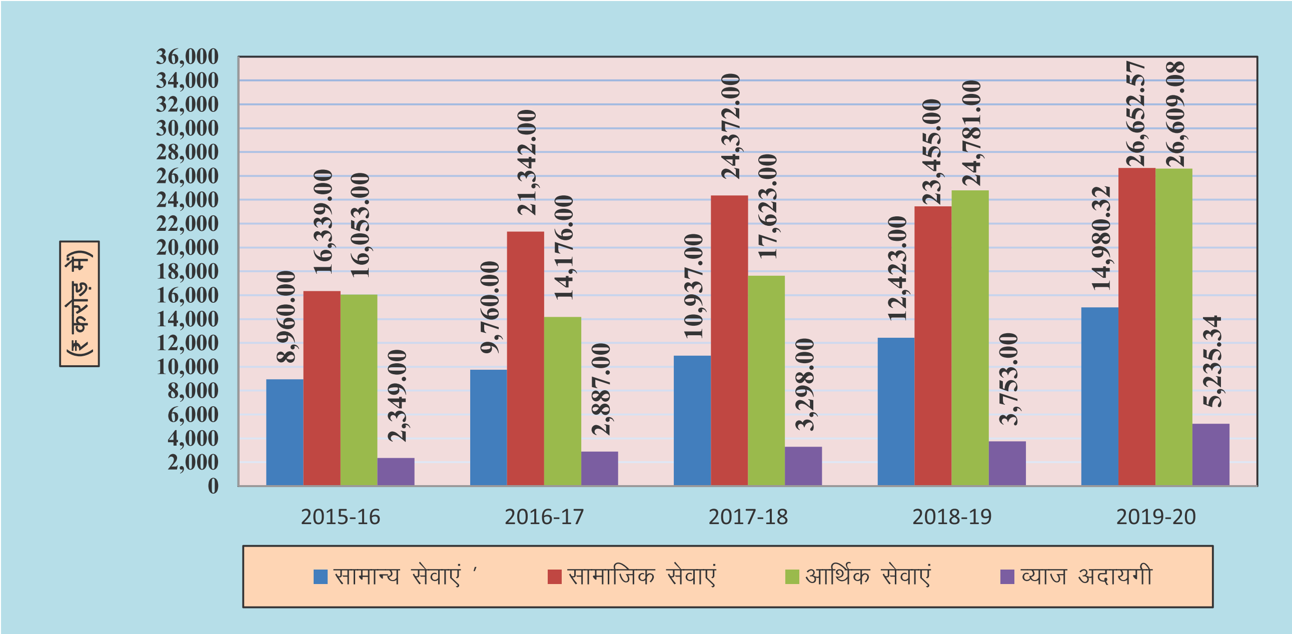

* सामान्य सेवाएं में ऋण शोधन (2048) एवं ब्याज अदायगी (2049) की राशि सम्मिलित नहीं है, स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन (3604) की राशि सम्मिलित की गई है।

3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय वृद्धि प्रकिया को लगातार बनाये रखने के लिए अत्यंत जरूरी है। वर्ष 2019—20 में ₹ 8,622.50 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 2.62 प्रतिशत) के पूंजीगत व्यय बजट अनुमानों से ₹ 3,692.52 करोड़ कम थे। वर्ष 2015—16 से पूंजीगत व्यय ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समांतर वृद्धि नहीं की है। इसे निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है:—

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2015—16	2016—17	2017—18	2018—19	2019—20
1.	बजट अनुमान	11,283.12	13,669.18	14,718.79	14,453.93	12,315.07
2.	वास्तविक व्यय	8,110.23	9,743.66	10,370.79	9,144.14	8,622.50
3.	बजट अनुमानसे वास्तविक व्यय का प्रतिशत	71.88	71.28	70.46	63.26	70.02
4.	पूंजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि	22.28	20.14	6.44	(—)11.83	(—)5.70
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,60,776	2,90,140	2,91,681	3,11,659.54	3,29,180.00
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि	10.98	11.26	0.53	6.85	2.41

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्र—वार विवरण

वर्ष 2019—20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में ₹ 1,125.36 करोड़ व्यय किया गया जिसमें वृहद सिंचाई में ₹ 387.39 करोड़, मध्यम सिंचाई में ₹ 58.28 करोड़, लघु सिंचाई में ₹ 667.97 करोड़, कमान क्षेत्र विकास में ₹ 1.51 करोड़ एवं बाढ़ नियंत्रण में ₹ 10.21 करोड़ व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा सड़क एवं पुल निर्माण पर ₹ 3,928.86 करोड़ खर्च किया गया तथा विभिन्न स्थानीय निगमों / शासकीय अभिकरणों / सहकारिताओं में ₹ 2.46 करोड़ निवेश किए गए।

3.3.2 पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का क्षेत्र–वार वितरण–

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1	सामान्य सेवाएं	362.33 (5)	187.54 (2)	303.33 (3)	255.52 (3)	194.48 (2)
2	समाजिक सेवाएं	1,807.01 (22)	2,460.62 (25)	2,651.78 (26)	1,773.79 (19)	1,912.33 (22)
3	आर्थिक सेवाएं	5,775.67 (71)	6,822.35 (70)	7,045.85 (68)	6,874.14 (75)	6,459.58 (75)
4	ऋण एवं अग्रिम	164.73 (2)	277.71 (3)	368.76 (3)	240.44 (3)	56.11 (1)
योग		**8,109.74**	**9,743.22**	**10,369.72**	**9,143.89**	**8,622.50**

नोटः लघु कोष्ठकों के आंकड़े कुल पूंजीगत व्यय के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

3.3.2 (अ) पूंजीगत व्यय के क्षेत्र–वार वितरण का रुझान

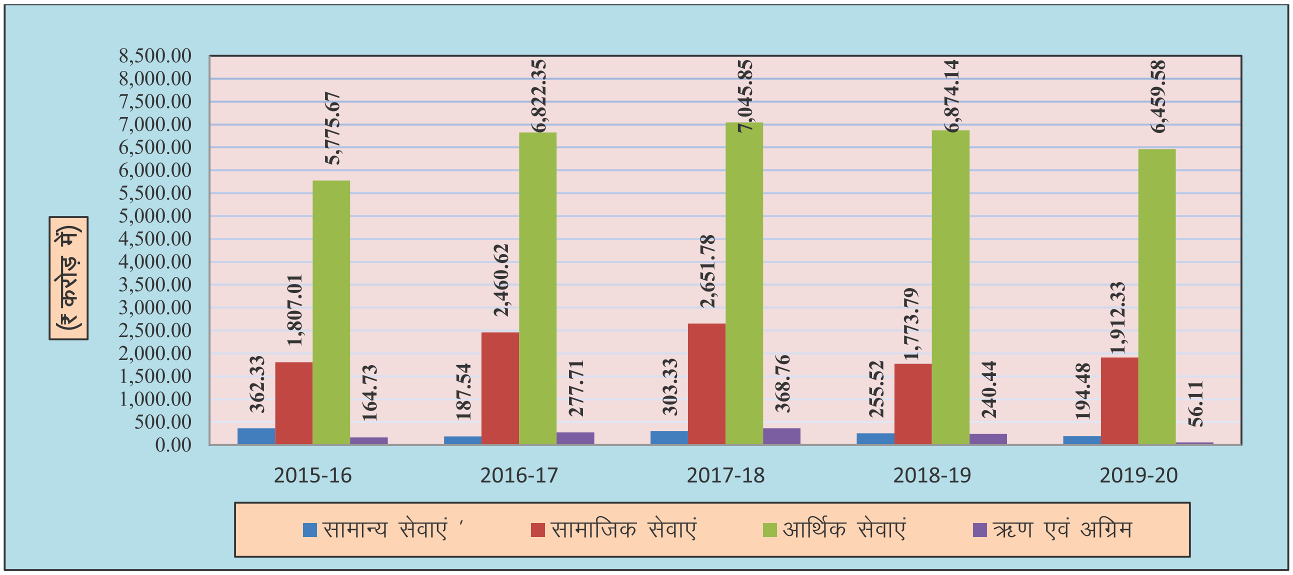

3.3.3. पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का क्षेत्र–वार वितरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत और राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्र–वार वितरण नीचे दर्शाया गया है–

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	भाग	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
क.	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	362.33	187.54	303.33	255.52	194.48
		राजस्व	10,408.76	11,496.23	12,870.41	15,280.28	19,095.34
ख.	सामाजिक सेवाएं	पूंजीगत	1,807.01	2,460.62	2,651.78	1,773.79	1,912.33
		राजस्व	16,339.35	21,341.61	24,371.59	23,454.94	26,652.57
ग.	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	5,775.67	6,822.35	7,045.85	6,874.14	6,459.58
		राजस्व	16,062.54	14,176.21	17,623.08	24,780.79	26,609.08
घ.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		राजस्व	900.41	1,150.55	1,364.66	895.16	1,120.32

3.4 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में विगत पांच वर्षों के प्रतिबद्ध व्यय का रूझान निम्न है:–

(₹ करोड़ में)

घटक	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
प्रतिबद्ध व्यय	24,092.83	21,989.62	25,420.78	35,042.41	44,695.03
राजस्व व्यय	43,701.06	48,164.60	56,229.75	64,411.17	73,477.31
राजस्व प्राप्तियां	46,067.71	53,685.25	59,647.07	65,094.93	63,868.70
राजस्व प्राप्ति से प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	52	41	43	53.83	69.98
राजस्व व्यय से प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	55	46	45	54.40	60.83

वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक प्रतिबद्ध व्यय में 85.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में उक्त अवधि के लिए 68.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

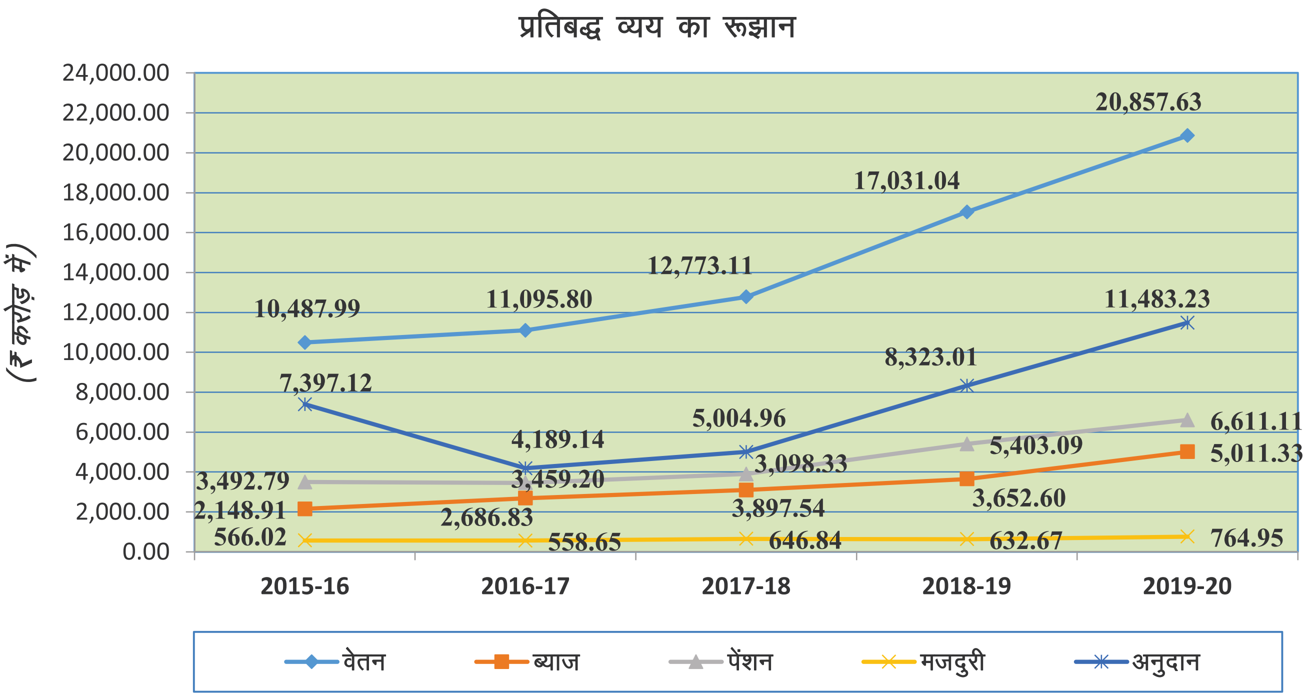

अध्याय–IV

विनियोग लेखे

4.1 वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान	समर्पण/पुन–र्विनियोजन	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(–) आधिक्य(+)
1	राजस्व						
	दत्तमत	74,362.81	9,390.82	(–)15,251.49	83,753.63	68,865.38	(–)14,888.25
	प्रभारित	*5,248.66*	*621.39*	*(–)42.65*	*5,870.02*	*5,578.49*	*(–)291.56*
2	पूंजीगत						
	दत्तमत	13,101.83	973.09	(–)3,702.26	14,074.93	8,976.29	(–)5,098.64
	प्रभारित	*30.48*	*28.59*	*(–)1.49*	*59.08*	*46.50*	*(–)12.58*
3	लोक ऋण						
	प्रभारित	*2,906.50*	*0.00*	*(–)629.03*	*2,906.50*	*8,695.03*	*+5,788.53*
4	ऋण तथा अग्रिम						
	दत्तमत	249.06	0.10	(–)149.45	249.16	99.61	(–)149.55
5	अन्तर्राज्यीय समाशोधन						
	प्रभारित	0.10	0.00	0.00	0.10	0.05	(–)0.05
योग	**दत्तमत**	**87,713.80**	**10,364.01**	**19,103.20**	**98,077.82**	**77,941.33**	**(–)20,136.49**
	प्रभारित	**8,185.64**	**649.98**	**673.14**	**8,835.63**	**14,320.02**	**+5,484.39**

4.2 विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रूझान

(₹ करोड़ में)

बचत (–)/आधिक्य (+)						योग
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	अन्तर्राज्यीय समाशोधन	
2015–16	(–) 14,705.23	(–) 4,735.41	(–)472.19	(–)118.23	+0.39	(–) 20,030.67
2016–17	(–) 13,676.60	(–)4,842.10	(–)793.70	(–)419.45	+0.34	(–) 19,731.51
2017–18	(–) 11,717.58	(–) 6,024.56	(–)917.50	(–)228.04	+0.97	(–) 18,790.68
2018–19	(–) 42,127.97	(–) 13,716.34	(–)1,864.96	(–)362.46	+0.15	(–) 5,8071.88
2019–20	+ 114.30	(–) 1,407.47	+6,417.56	(–)0.10	(–)0.05	+5,124.24

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत, कुछ विशेष योजनाओं/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमें क्रियान्वयन की ओर इंगित करती है। निरंतर तथा महत्वपूर्ण बचत वाले कुछ अनुदान निम्न प्रकार से हैं:–

(बचत प्रतिशत में)

अनुदान संख्या	नाम	दत्तमत/ प्रभारित	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
राजस्व							
28	राज्य विधानसभा	प्रभारित	*68.62*	*75.55*	*89.41*	*63.52*	*72.80*
		दत्तमत	34.17	37.43	40.85	36.92	34.36
36	परिवहन	प्रभारित	*63.58*	*99.50*	*73.73*	*66.92*	*100.00*
		दत्तमत	2.32	9.16	50.00	49.64	34.68
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	दत्तमत	7.33	5.46	16.29	23.06	23.87
67	लोक निर्माण कार्य–भवन	दत्तमत	24.98	13.44	25.61	14.88	13.18
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	प्रभारित	*73.81*	*73.81*	*100.00*	*100.00*	*100.00*
		दत्तमत	4.37	9.49	27.10	29.62	25.23
पूंजीगत							
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	दत्तमत	4.29	1.18	35.66	38.82	33.71

राज्य विधानमंडल, परिवहन और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत निरंतर भारी बचत विधायिका द्वारा अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वयन के दौरान कम प्राथमिकता देने की वजह से हुई। इसका कारण बजट अनुमान का बढ़ना या सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को अधिकतम सीमा से कम रखना हो सकता है।

4.4 अनावश्यक सिद्ध हुए अनुपूरक अनुदान/विनियोग

वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 11,013.99 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 11.48 प्रतिशत) कुछ मामलों में अनावश्यक सिद्ध हुआ जहाँ वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरूद्ध महत्वपूर्ण बचत दर्ज की गई। ऐसे मामले जहाँ इस तरह की बचत दर्ज की गई, उनसे संबंधित अनुदान संख्याओं के नाम, मूल प्रावधान, अनुपूरक अनुदान तथा वास्तविक व्यय की जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी गई है, जो इस प्रकार है:–

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	357.71	15.53	258.40
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	30.58	2.20	15.20
03	पुलिस	राजस्व	4,438.73	163.80	4,300.62
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	53.47	30.33	50.08
05	जेल	राजस्व	183.13	0.62	156.04
08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	874.85	7.79	709.48
10	वन	राजस्व	1,051.30	508.01	870.02
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	277.22	16.58	179.48
13	कृषि	राजस्व	3,972.28	721.05	1,561.57
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	512.06	7.74	413.65
16	मछली पालन	राजस्व	68.53	0.50	58.17
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	1,937.65	167.89	1,923.40
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	336.10	6.37	254.81
24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	राजस्व	1,321.17	11.50	677.23
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	39.44	7.00	36.77
28	राज्य विधानमंडल	राजस्व	69.24	0.79	45.65
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	667.51	15.06	542.65
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,696.99	250.11	1,906.11
34	समाज कल्याण	राजस्व	87.62	11.68	74.31
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	14,729.81	2,297.14	13,013.40
43	खेल और युवा कल्याण	राजस्व	50.89	0.00	13.05
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	राजस्व	361.22	11.22	250.77
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	5.85	0.21	4.89
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	1,050.50	128.24	759.66
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	राजस्व	4,967.39	836.24	4,417.50
65	विमानन विभाग	राजस्व	47.90	3.00	41.86
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	241.86	4.04	153.21
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय	राजस्व	946.24	216.60	387.14
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	राजस्व	121.17	8.11	71.39
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	708.56	13.60	539.88
01	सामान्य प्रशासन	पूंजीगत	50.07	0.60	16.60
03	पुलिस	पूंजीगत	66.39	0.01	43.02
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	0.40	0.06	0.30
08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	पूंजीगत	5.44	0.14	0.97
12	उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	301.93	40.00	246.66
13	कृषि	पूंजीगत	9.96	3.87	6.70
17	सहकारिता	पूंजीगत	18.80	1.00	0.29
19	श्रम	पूंजीगत	67.44	14.00	60.88
20	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूंजीगत	281.50	21.10	147.33

अनुदान संख्या	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	366.42	4.81	193.74
23	जल संसाधान विभाग	पूंजीगत	461.62	9.00	287.52
24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें तथा पुल	पूंजीगत	989.85	28.59	936.01
27	स्कूल शिक्षा	पूंजीगत	56.59	0.22	30.81
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	पूंजीगत	15.68	0.15	5.66
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय	पूंजीगत	853.66	128.07	825.17
41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	पूंजीगत	2,757.48	312.68	2,000.62
42	आदिवासी क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	पूंजीगत	1,007.43	0.00	986.21
44	उच्च	पूंजीगत	12.43	0.00	0.11
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजीगत	345.51	10.00	231.66
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	पूंजीगत	36.99	0.00	3.64
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	पूंजीगत	22.36	2.50	12.93
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	पूंजीगत	1,132.28	67.35	598.88
65	विमानन विभाग	पूंजीगत	20.05	50.00	0.00
67	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजीगत	589.27	7.23	267.73
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजीगत	175.74	80.70	75.59

वर्ष के अंत में कुछ मामलों में वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अधिक रहा जिसकी जानकारी नीचे सारणी में दी गई है:–

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
06	2071–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01–सिविल 101–अधिवार्षिकी और सेवानिवृत्ति भत्ते	राजस्व	2,660.00	0.00	3,493.50
06	2071–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01–सिविल 104–उपदान	राजस्व	450.00	0.00	670.34
06	2071–पेशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01–सिविल 105–पारिवारिक पेंशन	राजस्व	775.00	0.00	1,087.77
06	2435–अन्य कृषि कार्यक्रम 60–अन्य 101–किसानों के लिए ऋण राहत योजना	राजस्व	0.00	0.00	698.05
19	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (ऐलोपैथी) 200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएं	राजस्व	80.00	0.00	115.00
21	4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 01–राज्य राजधानी विकास 050–भूमि	पूंजीगत	26.00	0.00	77.85

अनुदान संख्या	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
42	5054–सड़कें एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04–जिला एवं अन्य सड़कें 337–सड़क कार्य	पूंजीगत	100.00	0.00	625.94
58	2245–प्राकृतिक आपदाओं पर राहत 05–आपदा राहत निधि 101–सुरक्षित निधि एवं जमा का अंतरण घटाइये–राज्य आपदा मोचन निधि	राजस्व	292.00	0.00	342.00
67	2059–लोक निर्माण कार्य 60–अन्य भवन 053–मरम्मत एवं रखरखाव	राजस्व	50.00	0.00	65.85

4.5 व्यय का अतिरेक

बजट नियंत्रण के लिए वर्ष में प्रमुख आवश्यकता व्यय का नियमित प्रवाह होना है। वित्तीय वर्ष के अंतिम महिनों में अत्यधिक व्यय को वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। जबकि यह देखा गया कि निम्नलिखित मामलों में मार्च, 2020 के दौरान किया गया व्यय, वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय के 50 प्रतिशत से 78 प्रतिशत के मध्य थे जो वित्तीय वर्ष के अंत में बजट प्रावधानित राशि प्रयुक्त किये जाने की प्रवत्ति को इंगित करता हैः–

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	नाम	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	त्रितीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	योग	मार्च, 2020 का व्यय	कुल व्यय से मार्च, 2020 का प्रतिशत
2853	लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	11.16	8.59	11.01	136.01	166.77	129.64	77.74
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणीयों पर पूंजीगत परिव्यय	0.66	0.88	1.86	23.78	27.18	15.20	55.92
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	8.45	2.50	15.10	26.05	15.10	57.97
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	64.04	0.00	78.05	142.09	78.05	54.93
4810	नई एवं अक्षय उर्जा श्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	236.19	0.00	320.45	556.64	320.45	57.57
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.02	0.33	8.51	8.86	4.81	54.29

अध्याय–V

परिसम्पत्तियां तथा दायित्व

5.1 परिसम्पत्तियां

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप, जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पतियों के मूल्यांकन को, अर्जन/खरीद के वर्ष को छोड़कर, सही तरह नहीं दर्शाता है। इसी प्रकार, जहॉ लेखे केवल चालू वर्ष के देनदारियों के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं वहीं वे भावी पीढ़ीयों पर पड़ने वाले दायित्वों के समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते हैं।

वर्ष 2019–20 के अन्त में सरकारी निगमों, शासकीय कंपनियों एवं संयुक्त स्टाक उपक्रमों में अंश पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 7,265.79 करोड़ रहा। जबकि वर्ष के दौरान निवेश पर कुल लाभांश ₹ 2.39 करोड़ (0.03 प्रतिशत) प्राप्त किया गया। वर्ष 2019–20 के अंत तक निवेश में ₹ 2.25 करोड़ की कमी तथा लाभांश आय में ₹ 0.90 करोड़ की वृद्धि हुई।

01 अप्रैल 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी शेष ₹ 320.72 करोड़ तथा मार्च 2020 के अन्त में यह (–) ₹ 1,094.99 करोड़ रहा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 के दौरान शासन ने 14 दिनों के खजाना बिलों में 139 अवसरों पर ₹ 73,897.95 करोड़ एवं 91 दिनों के खजाना बिलों में 05 अवसरों पर ₹ 5,907.20 करोड निवेश किया। वर्ष के दौरान पुर्नरियायती राशि 210 अवसरों पर ₹ 55,180.41 करोड़ थी और 53 अवसरों पर परिपक्वता राशि ₹ 29,118.95 करोड़ थी। वर्ष 2019–20 के दौरान निवेश की स्थिति का विवरण निम्नलिखित सारणी में वर्णित है:–

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार के खजाना बिलों में नकदी शेष का निवेश			
1 अप्रैल 2019 को शेष	2019–20 के दौरान खरीद	2019–20 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2020 को अंतिम शेष
9,759.02	79,787.15	84,299.36	5,246.81

5.2 ऋण तथा देनदारियां

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293, राज्य सरकारों को, समेकित निधि की अभिरक्षा पर, एक सीमा के भीतर, जो कि राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है, यदि कोई है, उधार लेने की शक्तियां प्रदान करता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विगत पॉच वर्षों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	लोक लेखा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	कुल देयताएं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
2015–16	26,050.15	9.99	11,766.44	4.51	37,816.59	14.50
2016–17	30,377.45	10.47	13,053.41	4.50	43,430.86	14.97
2017–18	39,030.01	13.38	13,877.07	4.76	52,907.08	18.14
2018–19	52,254.22	16.77	14,495.29	4.65	66,749.51	21.42
2019–20	63,146.72	19.18	15,565.74	4.73	78,712.46	23.91

वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों में ₹ 11,962.95 करोड़ (17.92 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई हैं।

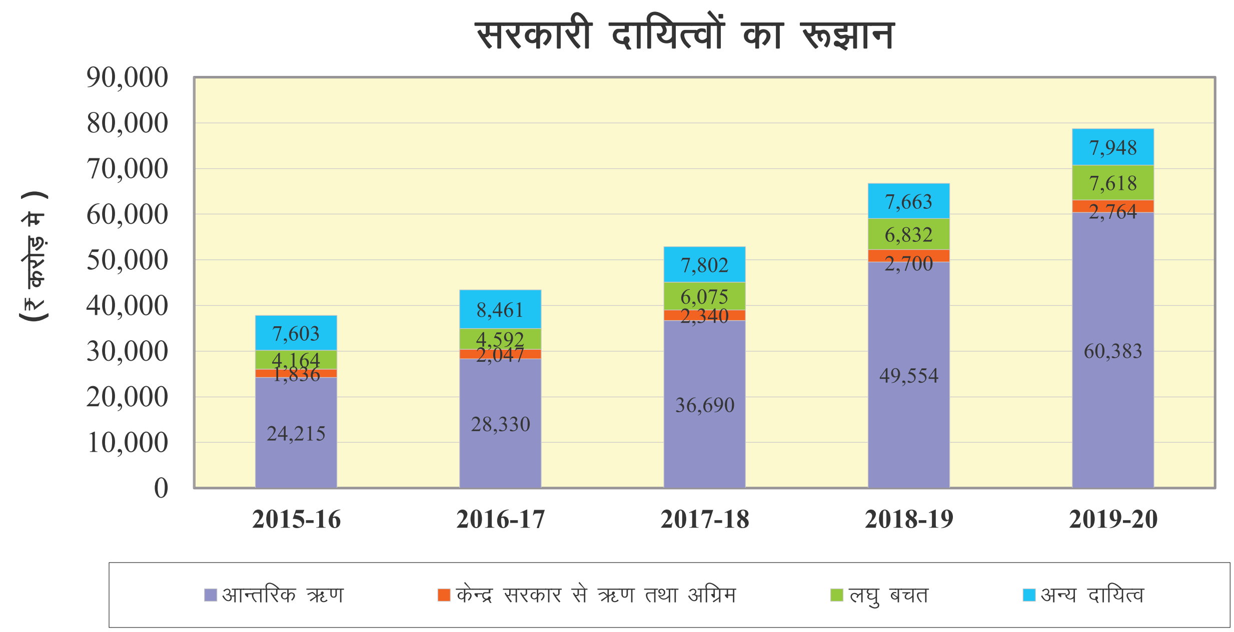

5.3 प्रतिभूतियां

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाये जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु, बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गए ऋणों की भी प्रतिभूति देती है। संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गए ऋणों, पूंजी तथा उसपर ब्याज के भुगतान की अदायगी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां, उनके न चुका पाने की स्थिति में राज्य सरकार की समेकित निधि पर उत्तरदायित्व है। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गए ऋणों (मूल राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रतिभूति की अधिकतम राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2015–16	14,883.41	1,988.24	लागू नहीं
2016–17	12,641.13	3,982.97	लागू नहीं
2017–18	6,549.89	3,881.92	लागू नहीं
2018–19	19,573.79	10,769.42	लागू नहीं
2019–20	27,994.79	18,459.36	लागू नहीं

उपरोक्तानुसार यह देखा जा सकता है कि प्रतिभूति राशि में वर्ष 2019–20 में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। वित्त लेखे के विवरण संख्या–20 पर इसका विवरण उपलब्ध है तथा ये वित्त विभाग, राज्य शासन से प्राप्त सूचना पर आधारित है।

5.4 सेवानिवृत्ति हितलाभों का दायित्व

1 नवम्बर 2004 को या उसके पश्चात नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारी नवीन ''परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'' के पात्र हैं। योजना के दिशा–निर्देशानुसार, कर्मचारी मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन द्वारा अंशदान किया जाता है। कर्मचारी अंशदान को लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 8342–117 में जमा किया जाता है एवं तदुपरान्त नेशनल सिक्युरिटीज् डिपाज़िटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के मनोनीत निधि प्रबन्धक को स्थानांतरित किया जाता है। वर्ष 2019–20 में कुल ₹ 1,063.71 करोड़ संग्रहित किए गए जिसमें ₹ 1,059.29 करोड़ कर्मचारियों का अंशदान एवं ₹ 4.42 करोड़ प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों तथा नियोक्ता के अंशदान सम्मिलित हैं। संग्रहित किए गए कुल ₹ 1,063.71 करोड़ में से केवल ₹ 1,060.29 करोड़ (जिसमें ₹ 1,058.45 करोड़ कर्मचारियों का अंशदान एवं ₹ 1.84 करोड़ प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों तथा नियोक्ता के अंशदान सम्मिलित हैं।) वर्ष के दौरान एन.एस.डी.एल. को स्थानांतरित किए गए। परिणामस्वरूप कुल ₹ 3.42 करोड़ का कम स्थानांतरण हुआ। ₹ 1,059.29 करोड़ के नियोक्ता अंशदान के विरूद्ध, राज्य शासन द्वारा केवल ₹ 1,057.21 करोड़ का अंशदान किया गया तथा बिना लोक लेखा में सम्मिलित करते हुए सीधे इसे एन.एस.डी.एल. को स्थानांतरित किया गया। अतः ₹ 2.08 करोड़ का कम अंशदान राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को कम कर के प्रदर्शित करेगा। असंग्रहित, असंगत एवं अस्थानांतरित राशियों मय अर्जित ब्याज इस योजना में बकाया दायित्व दर्शाती है।

अध्याय–VI

अन्य मदें

6.1 आंतरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत अधिशासित होती है। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाये जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से सरकारी कंपनियों तथा निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रतिभूति देती है जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को संबंधित प्रशासकीय विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार के लेखों में ये शामिल नहीं होते हैं। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामतः सरकारी लेखाओं में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की कम वयानी प्रदर्शित होती है। 31 मार्च 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार के लेखों में कोई प्रतिकूल शेष नहीं है।

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 के अंत तक ₹ 1,397.08 करोड़ के कुल ऋण एवं अग्रिम दिए गए हैं जो कि सरकारी निगमों/कंपनियों, गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों हेतु ऋण एवं अग्रिम से संबंधित थे। मार्च 2020 के अंत तक ₹ 384.64 करोड़ के मूल एवं ₹ 70.43 करोड़ के ब्याज की वसूली बकाया है।

6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों इत्यादि को दिए गए सहायता अनुदान वर्ष 2015–16 में ₹ 15,100.37 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹ 22,268.35 करोड़ हो गया है। जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थाओं, नगर निगम एवं नगर पालिकाओं को प्रदत्त अनुदान (₹ 9,145.77 करोड़) वर्ष के दौरान दिये गये कुल अनुदान का 41.07 प्रतिशत है।

विगत पांच वर्षों के सहायक अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :–

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1	जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थाएं	6,246.71	8,899.54	10,899.36	6,905.17	6,006.83
2	नगर निगम तथा नगर पालिकाएं	1,785.97	3,234.45	3,425.75	2,778.73	3,138.94
3	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,637.16	799.96	1,690.57	1,515.96	2,114.15
4	विश्वविद्यालय तथा शैक्षणिक संस्थान	480.58	623.50	597.17	557.55	2,823.12
5	अन्य संस्थान	4,949.95	6,914.73	10,040.36	13,139.70	8,185.31
	योग	**15,100.37**	**20,472.18**	**26,653.21**	**24,897.41**	**22,268.35**

सहायता अनुदान

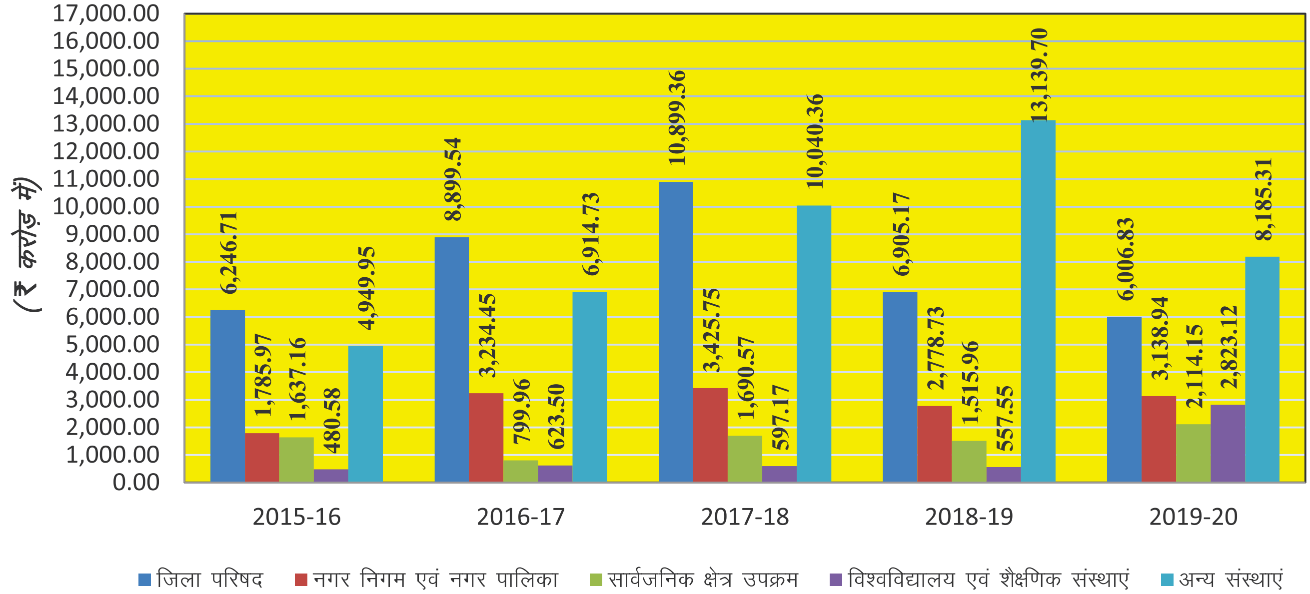

6.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष 2019–20 के लिए राज्य सरकार के रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश की स्थिति निम्नानुसार है–

(₹ करोड़ में)

घटक	01 अप्रैल 2019 की स्थिति में	31 मार्च 2020 की स्थिति में	निवल वृद्धि(+)/ कमी(–)
रोकड़ शेष	320.72	(–)1,094.99	(–)1,415.71
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के कोषालय बिल एवं प्रतिभूतियां)	9,759.02	5,246.81	(–)4,512.21
उद्दिष्ठ पृथक निधियों का निवेश	2,185.31	7,232.27	5,046.96
(क) निक्षेप निधि	2,046.94	2,311.94	265.00
(ख) प्रतिभूति उन्मोचन निधि	0.00	0.00	0.00
(ग) अन्य निधियां	138.37	4,920.33	4,781.96
प्राप्त ब्याज	145.23	277.40	132.17

6.5 लेखों का पुनर्मिलान

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा समय पर विभागीय आंकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखा कार्यालय के आंकड़ों के मिलान पर निर्भर करता है। वर्ष के दौरान 94 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 19 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से तथा 39 बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आंशिक रूप से कुल ₹ 48,667.61 करोड़ (कुल समेकित निधि व्यय ₹ 90,794.89 करोड़ का 53.60 प्रतिशत) का पुनर्मिलान किया। इसी प्रकार प्राप्ति के मामले में 40 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 14 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने ₹ 71,783.68 करोड़ (कुल समेकित निधि की प्राप्ति ₹ 83,717.84 करोड़ का 85.74 प्रतिशत) की प्राप्तियों का पूर्ण रूप से पुनर्मिलान किया।

6.6 लेखे प्रतिपादन इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

छत्तीसगढ़ शासन के 28 कोषालयों, 53 लोक निर्माण संभागों, 53 वन संभागों, 62 सिंचाई संभागों, 29 ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा संभागों, 36 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों, 33 ग्रामीण विकास संभागों, 04 सड़क विकास संभागों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यय एवं प्राप्ति के लेखे संकलित किये गये है। छत्तीसगढ़ शासन के लेखे प्रतिपादन इकाईयों से प्राप्त मासिक लेखे संतोषप्रद था।

6.7 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल (ए.सी.)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी को संक्षिप्त आकस्मिक बिल (ए.सी.) प्रस्तुत करते हुए आकस्मिक व्यय, जिनका विवरण उस वक्त उपलब्ध नहीं हो पाता है, सेवा मद को डेबिट कर खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया है। संबंधित अधिकारी को ऐसे सभी मामलों में बाद में विस्तृत आकस्मिक बिल (डी.सी.) प्रस्तुत करना होता है। नियंत्रण अधिकारियों को ऐसे सभी बिलों को महालेखाकार (लेखा. एवं हक.) को आने वाले महीने की 25 तारीख से पहले (राज्य कोषालय संहिता का उप नियम 327) भेजना होता है। डी.सी. बिलों का व्यय संबंधी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत न किया जाना ए.सी. बिलों से संबंधित व्यय को संदिग्ध एवं अपारदर्शी बना देता है। 31 मार्च 2020 की स्थिति में बकाया ए.सी. बिलों के विवरण निम्नलिखित हैं:–

लम्बित डी.सी. बिलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लम्बित डी.सी. बिलों की संख्या	राशि
2017–18	19	0.23
2018–19	96	1.14
2019–20	200	200.22
योग	**315**	**201.59**

मुख्य दोषी विभाग जिन्होंने डी.सी. बिल जमा नहीं किए हैं, जिसमें से एक सहकारिता विभाग जिसने कुल बकाया डी.सी. बिलों में से 184.26 करोड़ का अर्थात 91.40 प्रतिशत का योगदान दिया है। कुछ अन्य दोषी विभाग हैं–तकनीकी शिक्षा ₹ 6.35 करोड़ (3.15 प्रतिशत), श्रम एवं रोजगार ₹ 3.85 करोड़ (1.90 प्रतिशत), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ₹ 2.06 करोड़ (1.02 प्रतिशत) तथा कृषि ₹ 1.78 करोड़ (0.88 प्रतिशत)।

6.8 उचंत अवशेषों की स्थिति

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को मिलाकर तैयार किया गया है। विगत पांच वर्षों के मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत निवल आंकड़ों की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:–

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
(अ) 8658–उच्चंत लेखे										
101–वेतन एवं लेखा उचंत	47.52	2.50	48.21	0.44	54.38	0.14	52.55	18.83	67.35	19.50
निवल	नामे 45.02		नामे 47.77		नामे 54.24		नामे 33.72		नामे 47.85	
102–उचंत लेखे (सिविल)	60.39	49.21	2.20	0.16	19.26	0.98	32.44	0.17	30.81	0.17
निवल	नामे 11.18		नामे 2.04		नामे 18.28		नामे 32.27		नामे 30.64	
107–रोकड़ समाशोधन उचंत लेखे	38.68	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.68
निवल	नामे 31.98		नामे 0.00		नामे 0.00		नामे 0.00		नामे 0.65	
109–रिजर्व बैंक उचंत–मुख्यालय	(-)0.19	(-)11.31	(-)0.37	(-)3.08	(-)0.67	(-)0.08	2.61	3.02	3.57	0.01
निवल	नामे 11.12		नामे 2.71		जमा 0.59		जमा 0.41		जमा 3.56	
110–रिजर्व बैंक उचंत–क्रेन्द्रीय लेखा कार्यालय	(-)5.21	(-)3.03	0.73	0.15	0.14	0.00	1.72	0.00	0.00	84.11
Net	जमा 2.18		नामे 0.58		नामे 0.14		नामे 1.72		नामे 84.11	

(ब) 8782–प्रेषण										
102–लोक निर्माण प्रेषण	59,907.05	59,867.75	29.92	22.45	18.29	11.50	112.34	9.13	74.83	42.43
निवल	नामे 39.30		नामे 7.47		नामे 6.79		नामे 103.21		नामे 32.40	
103–वन प्रेषण	12,764.04	12,736.20	12.14	0.33	10.84	7.11	37.83	5.22	36.20	5.44
निवल	नामे 27.84		नामे 11.81		नामे 3.73		नामे 32.61		नामे 30.76	

6.9 शेष उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागीय अधिकारियों जिनके हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर से अनुदान देयक आहरित हुआ है, जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके पश्चवर्ती वर्ष में 30 सितम्बर अथवा पहले महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2020 की स्थिति में ₹ 3,770.85 करोड़ के कुल 256 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं, जिसके विवरण नीचे दिए गए हैः–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2017–18 तक	32	48.24
2018–19	45	229.20
2019–20	179	3,493.41
कुल	**256**	**3,770.85**

6.10 विगत पांच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)

सकल राज्य घरेलू उत्पादएक निश्चित अवधि में राज्य के अन्दर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त समस्त उत्पादित अंतिम उत्पाद और सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह राज्य की उत्पादन गतिविधियों के कुल मूल्य की बढ़ोतरी को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया हैः–

6.10.1 जी.डी.पी. और जी.एस.डी.पी. की वार्षिक वृद्धि दर (वर्तमान मूल्यों पर)–

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
भारत का सकल घरेलू उत्पाद *(₹ करोड़ में)*	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145	1,88,40,731	2,03,39,849
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.40	10.82	9.96	12.30	7.96
राज्य सकल घरेलू उत्पाद *(₹ करोड़ में)*	2,34,212	2,62,263	2,91,681	3,11,660	3,29,180
राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.91	11.98	11.22	9.66	5.62

(स्त्रोतः सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के वेबसाइट से प्राप्त किए गए हैं एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ें आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं)

6.11 अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के कारण प्रतिबद्धता:–

राज्य शासन द्वारा 331 अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों पर वर्ष 2019–20 के दौरान कुल ₹ 11,132.15 करोड व्यय किया गया । वित्त लेखे के भाग–2 के परिशिष्ट–IX में उल्लिखित प्रत्येक ₹ 10.00 करोड़ या अधिक के अनुमानित लागत वाली परियोजना के ₹ 14,511.57 करोड़ के अपूर्ण परियोजनाओं/निर्माण लागत मूल्यों का विवरण निम्नवत् है–

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निर्माण की श्रेणी (कार्यों की संख्या)	निर्माण की अनुमानित लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	संशोधन उपरांत अनुमानित लागत (कार्यों की संख्या)
1	जल संसाधन विभाग (164)	6,522.49	361.36	6,428.89	उपलब्ध नहीं	4,325.65 (52)
2	भवन निर्माण (19)	1,085.68	50.38	798.77	उपलब्ध नहीं	1,079.39 (11)
3	पुल निर्माण (38)	785.30	49.17	562.43	उपलब्ध नहीं	66.69 (04)
4	सड़क निर्माण (110)	6,118.14	351.54	3,342.06	उपलब्ध नहीं	2,587.42 (17)
योग		**14,511.61**	**812.45**	**11,132.15**	**उपलब्ध नहीं**	**8,059.15**

6.12 व्यक्तिगत जमा खाता (पी.डी.) में धन का स्थानांतरण:–

राज्य कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अनुसार राज्य शासन व्यक्तिगत जमा लेखे (जो कि लोक लेखे के भाग हैं) आरंभ करने के लिए अधिकृत हैं, जिनमें समेकित निधि से राशि आहरित कर (व्यय शीर्ष को नामे कर) विशिष्ट उद्देश्य के उपयोग में की जाती है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व व्यक्तिगत जमा लेखे की अप्रयुक्त राशि को समेकित निधि में वापस स्थानांतरित किया जाना चाहिए। राज्य शासन द्वारा मार्च 2020 की अवधि में ₹ 0.27 करोड़ मुख्य शीर्ष 2056 से मुख्य शीर्ष 8443–106 'व्यक्तिगत जमा खाते' में स्थानांतरित की गई है, जिसका विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट ई में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष के अन्त में इस प्रकार के स्थानांतरण बजटीय प्रावधान व्यपगत होने से बचाने के लिए किए गए हैं। 31 मार्च 2020 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

व्यक्तिगत जमा खाता का विवरण							
प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान अतिरिक्त/प्राप्ति		वर्ष के दौरान बंद/संवितरण		शेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
231	1,891.10	निरंक	272.05	8	577.89	223	1,585.26

6.13 निवेश

विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में किये गये शासकीय निवेशों की जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 8 एवं 19 में दर्शायी गयी है। वर्ष के अंत तक शासन द्वारा 1,522 संस्थाओं में ₹ 7,265.79 करोड़ का निवेश किया गया। उपरोक्त का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है:–

6.14 आरक्षित निधि की स्थिति

आरक्षित निधियों की जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 21 एवं 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट उद्देश्यों हेतु 17 आरक्षित निधियां है जिसमें से 14 निधियां क्रियाशील थी एवं तीन निधियां अक्रियाशील हैं। 31 मार्च 2020 के अंत तक इन निधियों में कुल ₹ 9,697.04 करोड़ (₹ 9,696.94 करोड़ क्रियाशील निधियों में एवं ₹ 0.10 करोड़ अक्रियाशील निधियों में) शेष रहा, जिसमें से ₹ 7,232.27 करोड़ (74.58 *प्रतिशत*) निवेश किया गया।

6.14.1 राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ)

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 जुलाई 2015 के द्वारा राज्य आपदा उन्मोचन निधि की रचना एवं प्रबंधन हेतु दिशा–निर्देश जारी किया गया।

सितम्बर 2018 में भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा 01 अप्रैल 2018 से इस निधि में केन्द्र शासन के अंशदान को 75 *प्रतिशत* से बढ़ा कर 90 *प्रतिशत* किये जाने का निर्णय किया गया। हालांकि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के दौरान संशोधित अंशदान के स्थान पर मौजूदा 75 प्रतिशत के योगदान को जारी रखा गया।

वर्ष 2019–20 में राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि में स्वंय के अंश के रूप में ₹ 177.30 करोड़ प्राप्त किया गया। उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को केन्द्रांश के रूप में प्राप्त ₹ 177.30 करोड़ एवं समतुल्य राज्यांश ₹ 59.10 करोड़ राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि को हस्तांतरित किया जाना था, लेकिन राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि को ₹ 147.40 करोड़ हस्तांतरित किया (केन्द्रांश ₹ 110.55 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 36.85 करोड़)। केन्द्रांश के रूप में ₹ 66.75 करोड़ एवं समतुल्य राज्यांश ₹ 22.25 करोड़ का हस्तांतरण न किया जाना राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे को कम करके प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा ₹ 194.60 करोड़ (वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त केन्द्रांश ₹ 125.10 करोड़ एवं समतुल्य राज्यांश ₹ 41.70 करोड़ तथा वर्ष 2018–19 से संबंधित 15 प्रतिशत कम हस्तांतरित हुई राशि ₹ 27.80 करोड़)। मुख्य शीर्ष 2245–'प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत' के अंतर्गत ₹ 252.54 करोड़ के व्यय को प्रतिपूरित किया गया। परिणामतः 31 मार्च 2020 की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि का अंत शेष ₹ 491.88 करोड़ रहा।

राज्य आपदा उन्मोचन निधि की अधिसूचना अनुसार, इस निधि का शेष भारत सरकार की प्रतिभूतियों, नीलामी किए गए ट्रेजरी बिल, ब्याज युक्त जमा एवं अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा प्रमाण पत्रो में निवेश किया जाना है।

6.14.2 समेकित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ)

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बकाया दायित्वों के उन्मोचन हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006–2007 में समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निधि में गत वर्ष के अंत तक बकाया दायित्वों (आंतरिक ऋण लोक लेखा दायित्वों सहित) का न्यूनतम 0.5 *प्रतिशत* वार्षिक अंशदान किया जाना है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2019–20 में ₹ 333.75 करोड़ (31 मार्च 2019 को बकाया दायित्वों ₹ 66,749.51 करोड़ का 0.5 *प्रतिशत*) के न्यूनतम आवश्यकता के विरूद्ध ₹ 265.00 करोड़ (वर्ष 2018–19 का ₹ 120.00 करोड का शेष शामिल है) का अंशदान किया गया। परिणामतः ₹ 188.75 करोड़ का कम अंशदान हुआ। इस निधि में 31 मार्च 2020 को ₹ 2,311.94 करोड़ थे तथा संपूर्ण राशि को भारत सरकार की प्रतिभूति में निवेश किया गया

6.14.3 प्रतिभूति मोचन निधि (जी.आर.एफ)

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य के प्रत्याभूति दायित्व की उन्मुक्ति हेतु गारंटी उन्मोचन निधि का गठन करें। यद्यपि छत्तीसगढ़ शासन ने उनके पत्र क्रमांक 459/F/2013-04-00749/B-4 दिनांक 30 जुलाई 2020 के द्वारा निर्णय लिया कि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अधिकांश गारंटी मध्यम एवं निम्न जोखिम प्रकृति के थे, अतः गारंटी उन्मोचन निधि का गठ़न नहीं किया गया है तथा संस्थानों द्वारा राज्य के गठन से ऋण के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की गई थी एवं संस्थाओं से प्राप्त गारंटी प्रस्तावों के पूर्ण परीक्षण एवं वित्तीय स्थिति के आंकलन के पश्चात ही गारंटी प्रदाय किया जाता है। 31 मार्च 2020 को बकाया गारंटी राशि ₹ 18,459.36 करोड़ थी।

छत्तीसगढ़ शासन ने अक्टूबर 2017 में दाऊ कल्याण सिंह (डी.के.एस.) स्नातकोत्तर संस्थान एवं शोध केन्द्र को संस्थान की स्थापना हेतु ₹ 64.00 करोड़ की प्रतिभूति जारी की। डी.के.एस. संस्थान ने मार्च 2018 में पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.) से ₹ 64.00 करोड़ ऋण लिया। दाऊ कल्याण सिंह (डी.के.एस.) स्नातकोत्तर संस्थान एवं शोध केन्द्र द्वारा अपने संसाधनों से जून 2018 से ऋण वापसी किया जाना था। हालांकि राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 के दौरान दाऊ कल्याण सिंह (डी.के.एस.) स्नातकोत्तर संस्थान एवं शोध केन्द्र को मुख्य शीर्ष 4210 के अन्तर्गत योजना शीर्ष –35 ब्याज/ऋण की वापसी के अन्तर्गत ऋण की किश्त के भुगतान हेतु ₹ 10.12 करोड़ की राशि जारी की।

6.14.4 अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण विकास उपकर का गैर स्थानांतरण

विकास उपकरः

अधोसंरचना विकास निधि : राज्य शासन ने वर्ष 2005 में अधोसंरचना विकास परियोजनाओं एवं पर्यावरण सुधार परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक अधिनियम बनाया। यह अधिनियम ''छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005'' के नाम से जाना जाता है। अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण विकास उपकर के अधिनियम उपबंध 3(2) के अनुसार अधोसंरचना विकास उपकर उन सभी भूमि पर लगया जाता है जिन पर भू–राजस्व या किराया लगाया जाता है। उपकर की दर भूमि के वर्गीकरण पर निर्भर करती है। इस उपकर को लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8229–विकास एवं कल्याण निधि के तहत लघु शीर्ष–200–अन्य विकास एवं कल्याण निघि के अन्तर्गत अधोसंरचना विकास निधि में जमा किया जाता है। 31 मार्च 2017 की स्थिति में इस निधि का शेष ₹ 423.39 करोड़ था। वर्ष 2018–19 में संग्रहित किए गए ₹ 174.00 करोड़ के उपकर को राज्य सरकार द्वारा अधोसंरचना विकास निधि में 31 मार्च 2020 तक हस्तांतरित नहीं किए गए जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व एवं राजकोषीय घाटा कम प्रदर्शित हुआ। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने ₹ 391.04 करोड़ (वर्ष 2016–17 का ₹ 225.17 करोड़ तथा वर्ष 2017–18 का ₹ 165.87 करोड़) के उपकर संग्रहित किए जिसमें से ₹ 225.17 करोड़ विकास निधि को 31 मार्च 2020 तक स्थानांतरित किए गए। वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि में गैर हस्तांतरित उपकर की कुल राशि ₹ 339.87 करोड़ है। वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान निधि के तहत ₹ 600.78 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया। 31 मार्च 2020 की स्थिति में विकास निधि का शेष ₹ 47.78 करोड़ है।

पर्यावरण निधिः राज्य शासन ने अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण विकास उपकर अधिनियम उपबंध 6(1) के अनुसार एक पर्यावरण निधि का गठन किया। पर्यावरण उपकर उन सभी भूमि पर लगया जाता है जिन पर भू–राजस्व या किराया लगाया जाता है। उपकर की दर भूमि के वर्गीकरण पर निर्भर करती है। इस उपकर को लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8229–विकास एवं कल्याण निधि के तहत लघु शीर्ष–200–अन्य विकास एवं कल्याण निघि के अन्तर्गत पर्यावरण निधि में जमा किया जाता है। वर्ष 2017–18 तक व्यय के लिए किए जाने वाले प्रावधान को विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत योजना शीर्षों के अन्तर्गत किया गया था एवं वर्ष के अन्त में व्यय को, यदि कोई हो, लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8229–200–0021 के तहत नामें किया जाता था। वर्ष 2018–19 से पर्यावरण उपकर से संबंधित व्यय को दर्ज करने हेतु बजट में किसी भी अलग प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया।

राज्य शासन इस निधि को लोक लेखा से मुख्य शीर्ष 8229–200–'अन्य विकास निधियां'–0021–'पर्यावरण उपकर निधि' से संचालित करता है। पर्यावरण उपकर मुख्य शीर्ष 0029–103–0062 के अन्तर्गत संग्रह किया जाता है। उपकर का अंतरण मुख्य शीर्ष 2029–797–6753–'पर्यावरण निधि को अन्तरण' से मुख्य शीर्ष 8229–200–0021 को किया जाता है। वर्ष 2017–18 तक इस निधि से संबंधित व्यय को दर्ज करने हेतु प्रावधान योजना शीर्ष स्तर पर विभिन्न मुख्यशीर्ष के अंतर्गत किया जाता था तथा वर्षांत में इन शीर्षो में यदि व्यय किया गया हो तो, इसे लोक लेखा मुख्यशीर्ष 8229–200–0021 के अंतर्गत नामे किया जाता है। वर्ष 2018–19 से बजट में पर्यावरण निधि से संबंधित व्यय दर्ज करने हेतु पृथक प्रावधान नहीं किया गया है।

31 मार्च 2017 को निधि का शेष ₹ 175.19 करोड़ था। वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किए गए ₹ 61.44 करोड़ की राशि को 31 मार्च 202 तक पर्यावरण निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व एवं राजकोषीय घाटा कम प्रदर्शित हुआ। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने ₹ 227.31 करोड़ (2016–17 का ₹ 61.44 करोड़ तथ 2017–18 का ₹ 165.87 करोड़) का उपकर संग्रहित किया जिसमें से ₹ 61.44 करोड़ पर्यावरण निधि को 31 मार्च 2020 तक हस्तांतरित किया गया। वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि में गैर हस्तांतरित उपकर की कुल राशि ₹ 339.87 करोड़ है। 2016–17 से 2017–18 के दौरान पर्यावरण निधि में ₹ 12.90 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया। हालांकि 2018–19 एवं 2019–20 में इस निधि के अंतर्गत कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया है। 31 मार्च 2020 की स्थिति में पर्यावरण निधि का शेष ₹ 223.73 करोड़ है।

6.15 भारत सरकार के लेखा मानकों का अनुपालनः

6.15.1 प्रतिभूति पर लेखा मानक (IGAS-1):

प्रतिभूति पर लेखा मानकों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है जिसके अनुपालन से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैः–

सरकार के द्वारा दी गई प्रतिभूति–प्रकटीकरण की आवश्यकताएं (IGAS-1):– 70 प्रतिशत प्रतिभूति संस्थाओं ने प्रतिभूति से संबंधित जानकारी को निर्धारित प्रपत्र **IGAS-1** में दिया है। प्रतिभूति से संबंधित विवरण राज्य शासन के बजट दस्तावेजों (खण्ड–5) में दर्शाया जाता है। अतः राज्य सरकार इस IGAS-1 के अनुपालन में जानकारी नहीं प्रदर्शित कर रही है।

6.15.2 सहायता अनुदान पर लेखा मानक (IGAS-2)

सहायता अनुदान से संबंधित लेखाकंन एवं वर्गीकरण (IGAS-2):– उपरोक्त मानकों के अनुपालन में, सरकार के द्वारा प्राप्त किए गए सहायता अनुदान को राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदान को राज्य सरकार के राजस्व व्यय के रूप में लेखांकित किया जाता है। हालांकि राज्य शासन ने पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान से ₹ 1,939.61 करोड़ का व्यय किया तथा इसे राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में लेखे में दर्शाया। सहायता अनुदान से संबंधित जानकारी को राज्य सरकार से निर्धारित प्रपत्र IGAS-2 में प्राप्त नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार IGAS-2 के अनुपालन में कार्य नहीं कर रही है।

6.15.3 ऋण एवं अग्रिम पर लेखा मानक (IGAS-3)

सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम (IGAS-3):– इस मानक से संबंधित सभी प्रकटनों को वित लेखे में सम्मिलित कर लिया गया है। अतिरिक्त प्रकटनों जैसे कि ऋणों का बकाया आदि से संबंधित जानकारी को राज्य सरकार से निर्धारित प्रपत्र IGAS-3 में प्राप्त किया गया है। अतः राज्य सरकार IGAS-3 के अनुपालन में कार्य कर रही है।

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2021
www.cag.gov.in

agaechhattisgarh@cag.gov.in